

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

### असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 24 जून, 2014 ई0 आषाद 03, 1936 शक सम्वत्

#### उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 184/XXXVI(3)/2014/41(1)/2014 देहरादून, 24 जून, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विधेयक, 2014" पर दिनांक 23 जून, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 21 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2014 पर दिशक 23 जुड़,

#### उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा अधिनियम, 2014 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-21 वर्ष 2014)

यह इष्टकर है कि उत्तराखण्ड में प्रारम्भिक और माध्यमिक संस्कृत शिक्षा के एकीकृत रूप के अन्तर्गत संस्कृत शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और विभागीय प्रशिक्षणों की संरचना एवं प्रक्रिया के विनियमन, पर्यवेक्षण और उनके लिये पाठ्यक्रम विहित करने के लिए एक संस्कृत परिषद की स्थापना करने के लिए-

#### अधिनियम

भारत गणराज्य के भैंसठवें वर्ष में यह निम्नलिखित रूप में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा अधिनियम बनाया जाता है।

### भाग-एक

प्रारम्भिक (क) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा संक्षिप्त नाम, विस्तार और अधिनियम् 2014 है। आरम्भ (ख) यह त्रन्त प्रवृत्त होगा। (ग) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा। 2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो परिभाषाएं (क) 'राज्य सरकार' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है। (ख) 'परिषद्' से उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है। (ग) 'निदेशक' से संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड का निदेशक अभिप्रेत है। (घ) 'समापति' से उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् का समापति अभिप्रेत है। (ङ) 'निदेशालय' से उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा निदेशालय अभिप्रेत (च) 'संयुक्त निदेशक' से संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड का संयुक्त निदेशक अभिप्रेत हैं। (छ) 'उपनिदेशक' से संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड का उप निदेशक

> अभिप्रेत है। (ज) 'सचिव' से उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् का सचिव, अभिप्रेत है।

> (झ) 'उपसचिव' से उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् का उप सचिव, अभिप्रेत है। हा साझ सन्धारकार कर विकास कि एउटावार-विक

- (ञ) "सहायक निदेशक" से संस्कृत शिक्षा का सहायक निदेशक अभिप्रेत है।
- (ट) 'परिषद् का सदस्य' से उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है।
- (ठ) 'संस्था' से मान्यता प्राप्त उत्तरमध्यमा स्तर समकक्ष इण्टरमीडिएट, पूर्वमध्यमा स्तर समकक्ष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर, प्रथमा समकक्ष पूर्वमाध्यमिक स्तर तथा संस्कृत प्राथमिक विद्यालय कक्षा प्रथम से पंचम कक्षा तक अभिप्रेरित है।
- (ढ) 'सहायता प्राप्त संस्था' से राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था अभिप्रेत है।
- (ढ) 'विद्यालय' से परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शासकीय, अशासकीय एवं वित्तविहीन या स्ववित्त पोषित विद्यालय अभिप्रेत है।
- (ण) 'उत्तरमध्यमा' से कक्षा 11-12 'पूर्वमध्यमा' से कक्षा 09-10, 'प्रथमा' से कक्षा 06-08 एवं 'प्राथमिक' से कक्षा 01-05 अमिप्रेत है।
- (त) 'संस्था का प्रघान' से परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था का प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापक के अभिप्रेत है और 'प्रधानाध्यापक' से मान्यताप्राप्त प्रवेशिका, प्रथमा, पूर्वमध्यमा विद्यालयों के प्रधान तथा 'प्रधानाधार्य' से उत्तरमध्यमा विद्यालयों के प्रधान अभिप्रेत है।
- (थ) 'अध्यापक' से परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधानाचार्य, प्रधानाघ्यापक या अन्य शिक्षक, शिक्षिका अभिप्रेत है। जिसके सेवायोजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उस मान्यता प्राप्त संस्था को अनुरक्षण अनुदान दिया जाता हो, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अन्य अध्यापक भी है, जो संस्था की मान्यता या उसकी किसी उच्चतर कक्षा के लिए मान्यता की शर्तों को पूरा करने के निमित्त अथवा किसी वर्तमान कक्षा में सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा के अनुमोदन से कोई नया अनुभाग खोलने के फलस्वरूप नियमित रूप से सेवायोजित हो।
- (द) किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के 'कर्मचारी' से किसी शिक्षणेत्तर कर्मचारी अभिप्रेत हैं, जिसके सेवायोजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उस मान्यता प्राप्त संस्था को अनुरक्षण अनुदान दिया जाता हो।
- (ध) 'प्रबन्धाधिकरण' से मान्यता प्राप्त संस्था के सम्बन्ध में प्रशासन योजना के अनुसार गठित प्रबन्ध समिति अभिप्रेत हैं और इसमें प्रबन्धक या ऐसा अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसमें संस्था के कार्यकलाप का प्रबन्ध तथा संचालन निहित हो,

(न) 'स्थानीय निकाय' एवं पंचायती राज से क्रमशः जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पचायत, नगर निगम, नगर पालिका परिषद् अभिप्रेत है।

(प) 'केन्द्र' से परिषद् द्वारा अपनी परीक्षाएं आयोजित करने के लिये नियत की गयी संस्था या स्थान अभिप्रेत है और इसमें उससे सम्बद्ध

समस्त भू-गृहादि भी सम्मिलित है।

(फ) 'केन्द्र अधीक्षक' से परिषद् की परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण के लिये परिषद् द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति से है और इसमें अतिरिक्त अपर अधीक्षक भी सम्मिलित है।

(ब) 'अन्तरीक्षक' से परीक्षा केन्द्र पर परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण में केन्द्र अधीक्षक की सहायता करने के लिये नियुक्त किया गया अन्तरीक्षक अभिप्रेत है।

(म) 'अनुरक्षण अनुदान' से संस्था का ऐसा सहायक अनुदान अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था के स्तर के समुपयुक्त अनुरक्षण अनुदान माने जाने के लिए निदेश दे।

(म) राज्य निधि से सहायताप्राप्त संस्था के अध्यापक / अध्यापिका एवं कर्मचारी के 'वेतन' से अनुरक्षण अनुदान के प्रयोजनार्थ अनुमोदित दरों पर उसे तत्समय संदत्त उपलब्धियों का योग अभिप्रेत है, और इसमें महँगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी सम्मिलित है।

(य) किसी मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में 'सम्पत्ति' के अन्तर्गत संस्था की, पूर्णतः या अन्य रूप से संस्था के लामार्थ व न्यासित सभी स्थावर सम्पत्तियाँ हैं, जो प्रबन्ध तंत्र के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हो तथा इसमें उद्भूत होने वाले अन्य अधिकार और हित भी हैं।

(र) 'मान्यता' से परिषद द्वारा विहित पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम के अनुसरण तथा परिषद की परीक्षाओं में बैठने के लिए अभ्यर्थियों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ प्रदान की गयी मान्यता अभिप्रेत है।

(ल) 'माध्यम भाषा' से संस्कृत निदेशालय एवं परिषद् द्वारा संस्थाओं के साथ शासकीय एवं प्रशासकीय कार्यों में संस्कृत / हिन्दी भाषा का प्रयोग अभिप्रेत हैं।

(a) विनियम से इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा बनाये गये विनियम अभिप्रेत है।

(स) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा विहित अभिग्रेत है।

#### भाग दो

संस्कृत शिक्षा की विभागीय संरचना कृत्य और शक्तियाँ

संस्कृत शिक्षा की विमागीय 3. संरचना, कृत्य और शक्तियाँ

METERS IS THE ME

- (1) राज्य सरकार संस्कृत शिक्षा के नियोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, प्रशासन, निर्देशन, अनुश्रवण तथा वित्तीय प्रबन्ध हेतु राज्य स्तर पर निर्देशक, संयुक्त निर्देशक, उपनिर्देशक, संस्कृत शिक्षा निर्देशालय, जनपदीय सहायक निर्देशक, संस्कृत शिक्षा, सचिव, उपसचिव उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्, के अतिरिक्त राज्य, जनपद विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत अथवा समुचित स्तर पर क्रमश संस्कृत अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, शैक्षिक प्रबन्धन एवं नियोजन, संस्कृत कला तथा संस्कृत विज्ञान केन्द्र एवं संस्कृत विद्यालय संकृत की स्थापना कर सकेगी।
- (2) राज्य सरकार उपधारा (1) में वर्णित संस्थाओं में ऐसे नये अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जो राज्य सरकार उचित समझे।
- (3) उपधारा (2) में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसे कृत्यों का निर्वहन तथा शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जैसा विनियम में विहित किया जाय।

राज्य में संस्कृत शिक्षा 4. परिषद् के कृत्य

- (1) संस्कृत शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत संस्कृत के उत्थान एवं परिपोषण के लिये संस्कृत अकादमी से सहयोग एवं समन्वय स्थापित करेगी।
- (2) धारा 3 की उपधारा (1) में तैनात अधिकारी पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्न कार्यों का निर्वहन करेंगे—
- (क) विमिन्न परियोजनाओं को संचालित करने के लिए वार्षिक अनुमान तथा लेखों को तैयार करना।
- (ख) राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में संचालित की जा रही केन्द्रपोषित एवं राज्य सरकार की परियोजनाओं तथा उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा संचालित सभी के लिए सर्वशिक्षा अभियान (SSA) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं को संस्कृत शिक्षा में लागू करने के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति लेना।
- (ग) राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के अन्य अभिकरणों से शैक्षिक प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्ययोजनाओं में सहयोग लेना।
- (घ) संस्कृत शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
- (छ) सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण का संचालन करना।
- (च) शैक्षिक उन्नयन हेतु संस्कृत शिक्षा परिषद् / राज्य सरकार को सुझाव प्रेषित करना।

(3) घारा 3 की उपघारा (1) में तैनात अधिकारी पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना निम्न कार्यों का निर्वहन करेंगे अर्थात

(क) संस्कृत शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिये पाठ्यचर्या तथा

पाठ्यक्रम की संरचना संशोधन एवं परिष्कार करना।

(ख) पाठ्य पुस्तक, पाठ्य सामग्री एवं अन्य शिक्षण सामग्री की सरचना करना।

(ग) शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण सामग्री की संरचना, संशोधन एवं परिष्कार करना।

(घ) विभागीय परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम एवं सामग्री की संरचना करना।

(ङ) पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री एवं अन्य सामग्री परिषद के विचारार्थ प्रेषित करना।

(च) संस्कृत शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शोध करना और कराना।

(छ) पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री एवं अन्य शोध कार्यों का प्रकाशन करना।

(ज) संस्कृत शिक्षा एवं शिक्षक-शिक्षा संबंधी सामग्री एवं विभिन्न प्रकाशनों का प्रसार करना।

(झ) संस्कृत शिक्षा, शिक्षक शिक्षा के विभिन्न स्तरों तथा विभागीय परीक्षाओं हेतु मूल्याकंन प्रक्रिया निर्धारित करना।

(ञ) शैक्षिक गुणवत्ता का मूल्याकंन करना।

(ट) सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण के क्षेत्र में नदीन शैक्षिक प्रविधियों का समावेश करना।

(ठ) शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में नवीन शैक्षिक प्रविधियों का समावेश करना।

संस्कृत / हिन्दी को माध्यमभाषा के रूप में शासकीय, प्रशासकीय कार्यों हेतु प्रयोग में लाना।

(ढ) उपधारा 3 के खण्ड (क) से (ड)में वर्णित कार्यों के संचालन के लिए वार्षिक अनुमानों तथा लेखों को तैयार करना।

#### माग-तीन परिषद् की स्थापना, उसके सदस्यों की पदावधि, अन्य शर्ते एवं उसकी शक्तियाँ

 उस दिनांक से जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत परिषद की स्थापना करें, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद के नाम से ज्ञात एक परिषद की स्थापना कर सकेगी।

#### परिषद् का संगठन

- (1) परिषद् में एक समापित और निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्–
  - (क) निदेशक, संस्कृत शिक्षा पदेन सभापति।
  - (ख) निदेशक / सभापति द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट उत्तरमध्यमा संस्थाओं के तीन प्रधानाचार्य जिनमें एक राजकीय संस्था, एक अशासकीय संस्था और एक महिला संस्कृत संस्था के प्रधान हों।
  - (ग) संस्कृत के प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक स्तर की संस्थाओं के निदेशक / सभापति द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट,तीन प्रधानाध्यापक जिनमें एक प्राथमिक संस्था, एक अशासकीय पूर्वमध्यमा संस्था और एक महिला संस्कृत संस्था के प्रधानाध्यापक हों।
  - (घ) संस्कृत माध्यमिक संस्थाओं के निदेशक/सभापित द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देख्ट, तीन शिक्षक जिनमें एक राजकीय संस्कृत संस्था, एक अशासकीय संस्कृत संस्था और एक महिला संस्कृत संस्था के शिक्षक हो तथा प्राथमिक संस्कृत संस्था एवं पूर्व माध्यमिक संस्कृत स्तर की संस्थाओं के निदेशक/सभापित द्वारा नाम निर्दिख्ट तीन शिक्षक जिनमें एक राजकीय संस्कृत प्राथमिक संस्था, एक अशासकीय संस्कृत संस्था और एक महिला संस्कृत संस्था के शिक्षक हो।
  - (ङ) उत्तराखण्ड में विधि द्वारा स्थापित संस्कृत विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध किसी संस्कृत महाविद्यालय का निदेशक/सभापित द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्राध्यापक
  - (व) उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी के सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट निदेशक / समापति द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ।
  - (छ) उत्तराखण्ड में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों (विशेषतः योग, आयुर्वेद तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय के कुलपित द्वारा नाम निर्दिष्ट, निदेशक / समापित द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन प्राध्यापक जिनमें उक्त में क्रमशः एक-एक प्राध्यापक हों।
  - (ज) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के कुलपित द्वारा नाम निर्दिष्ट, निदेशक / समापित द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक संस्कृत विशेषज्ञ।
  - (झ) मेडिकल कॉलेज का निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत. राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक विशेषज्ञ।
  - (ञ) राज्य शैक्षिक अनुसंघान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तराखण्ड के निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो

विषय विशेषज्ञ।

- (ट) वित्त विभाग का, निदेशक / सभापति द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक प्रतिनिधि।
- (ठ) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर का, उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट, निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ।
- (ड) निदेशक / सभापति द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो वरिष्ठ संस्कृत शिक्षा अधिकारी ।
- (ढ) नेपाली/पालि माषाओं से सम्बद्ध निदेशक/सभापति द्वारा संस्तृत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ।
- (ण) महाराणा प्रताप स्पोर्टस् कालेज, देहरादून का प्राचार्य, पदेन
- (त) परिषद का सचिव, पदेन, जो परिषद का सदस्य सचिव होगा।
- (2) राज्य सरकार अल्पसंख्यकों (चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हों) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का जिसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से अन्यथा नहीं हुआ है प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिये शिक्षा से सम्बद्ध चार व्यक्तियों से अनधिक को परिषद का सदस्य नाम निर्दिष्ट कर सकेंगी।
- (3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करेगी कि परिषद् का सम्यक रूप से गठन कर लिया गया है।

#### सदस्य का हटाया जाना

सदस्यों की पदावधि

- (1) राज्य सरकार परिषद् से ऐसे किसी सदस्य को हटा सकेगी जो उसकी राय में-
  - (क) कार्य करने से इन्कार करता है।
  - (ख) कार्य करने में असमर्थ हो गया है।
  - (ग) सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा दुरुपयोग करता है जिसके कारण उसका पद पर बना रहना लोक हित में हानिकारक है या-
- (घ) सदस्य के रूप में बने रहने के लिये अन्यथा अनुपयुक्त है
- (2) ऐसा सदस्य जो लगातार तीन बार परिषद् द्वारा आयोजित बैठक में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहेगा ऐसे सदस्य को हटाया जा सकेगा।
- पदेन सदस्यों को छोड़कर प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये पदधारण करेगा, जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें.

परन्तु यह कि सदस्य अपनी पदावधि का अवसान हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। जाकस्मिक रिक्तियों का 9. परिषद् के (पर्देन सदस्यों र नरा जाना रिक्तियां यथाशीघ्र सुविधानुर

परिषद के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में से सभी आकिस्मिक रिक्तियां यथाशीघ सुविधानुसार प्रक्रिया के द्वारा निदेशक / सभापति के निर्देशानुसार विनियम के अन्तर्गत भरी जायेगी।

रिषद् की शक्तियां 10. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात—

(क) उत्तरमध्यमा, पूर्वमध्यमा, प्रथमा तथा प्राथमिक स्तर की शिक्षा, शिक्षा शिक्षा और अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये शिक्षा एवं प्रशिक्षण की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें वह उचित समझे, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया, पाठ्यपुस्तक, अन्य पुस्तकें और शिक्षण सामग्री यदि कोई हो विहित करना।

(ख) ऐसी पाठ्य-पुस्तक अन्य पुस्तक या शिक्षण सामग्री में सम्पूर्ण या किसी भाग का, दूसरों का पूर्णतः या अंशतः अपवर्जन करना या अन्यथा प्रकाशन या निर्माण

(ग) पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम, तथा शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री की रचना, परिष्कार अथवा संशोधन करना.

(घ) ऐसे व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना :-

(1) जिन्होंने ऐसी संस्था में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन / प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, तथा जिन्होंने ऐसी संस्था से सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त किया हो जिसे परिषद् द्वारा मान्यता के विशेषाधिकार प्रदान किये गये हों, या

(2) ऐसे अध्यापक जिन्होंने सेवारत या सेवापूर्व प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या जिन्होंने विनियम में निर्धारित की गयी शर्तों के अधीन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया हो और उन्ही शर्तों के अधीन परिषद् की परीक्षायें उत्तीर्ण की हों,

(ङ) अपने द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसरण तथा अपनी परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिये संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना.

(च) संस्कृत शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रमों की समाप्ति पर परीक्षाओं का संचालन करना, शिक्षक प्रशिक्षण विषयक परीक्षाओं एवं विभागीय परीक्षाओं का संचालन करना,

(छ) अपनी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को प्रवेश देना,

(ज) ऐसे शुल्क माँगना और प्राप्त करना, जो विनियमों में विहित किये जायें,

(झ) अपनी परीक्षाओं के परिणाम का पूर्णतः या अंशतः प्रकाशन करना या रोकना

(अ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं या मान्यता के लिये आवेदन करने वाली संस्थाओं की स्थिति के बारे में निदेशक से आख्या गांगना,

(ट) संस्थाओं द्वारा मान्यता के सम्बन्ध में दिये गये प्रत्यावेदनों एवं अपीलों पर कार्यवाही करना,

> (ठ) राष्ट्रीय स्तर अथवा क्षेत्रीय स्तर के अन्य अभिकरणों से शैक्षिक कार्ययोजनाओं में सहयोग करना,

(ड) संस्कृत, योग, आयुर्वेद एवं वैज्ञानिक अनुसंघान के क्षेत्र में राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय सरकारी अथवा गैरसरकारी अभिकरणों से समन्वय स्थापित करना।

(ढ) राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (एस. आई. ई. एम. ए. टी.), इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्सड स्टडीज इन एजूकेशन (आई. ए. एस. ई.), सी.टी.ई. तथा एस. सी. ई. आर. टी. से समन्वय स्थापित करना,

(ण) अन्य प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहयोग करना अथवा सहयोग प्राप्त करना, जो परिषद् अवधारित करे.

(त) संस्कृत शिक्षा, शिक्षक शिक्षा एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शोध करना और कराना,

(थ) पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, अन्य सामग्री तथा शोध कार्यों का प्रकाशन करना,

(द) संस्कृत शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी सामग्री एवं विभिन्न प्रकाशनों का प्रसार करना,

(घ) संस्कृत शिक्षा, शिक्षक शिक्षा विभागीय परीक्षा हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया निर्घारित करना,

(न) ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपने विचार भेजना, जिससे वह सम्बन्धित हों,

(प) बजट में सम्मिलित किये जाने के लिये प्रस्तावित ऐसी संस्थाओं से सम्बन्धित नई मांगों की अनुसूचियों को देखना, जिन्हें उसने मान्यता प्रदान की हो और यदि वह उचित समझे तो उन पर अभिव्यक्त अपने विचारों को राज्य सरकार के विचारार्थ भेजना.

(फ) ऐसे अन्य समस्त कार्यों और बातों को करना, जो उत्तरमध्यमा, पूर्वमध्यमा, प्रथमा, प्राथमिक शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के विनियम और पर्यवेक्षण के लिये एक निकाय के रूप में संगठित किये गये परिषद् के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये अपेक्षित हों।

(ब) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन किसी अन्य शक्ति का प्रयोग।

#### नये विषयों अथवा उच्चतर कक्षाओं के लिए मान्यता

किसी नये विषय में या 11. किसी उच्चतर कक्षा के लिये संस्था को मान्यता

धारा 10 के खण्ड (ड) में किसी बात के होते हुये भी-

(क) उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी संस्था को किसी नये विषय में या विषयों के वर्ग में या किसी उच्चतर कक्षा के लिये मान्यता दे सकती है।

(ख) सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा किसी संस्था को किसी वर्तमान कक्षा में नया अनुभाग खोलने की अनुज्ञा दे सकता है।

#### भाग-पांच

डिप्लोमा प्रमाण पत्रों का अनधिकृत प्रयोग, दान और शास्ति

- डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र को अनधिकृत रूप से प्रदान करने का प्रतिषेध
- कोई व्यक्ति किसी डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज को प्रदान, अनुदान या जारी नहीं करेगा या प्रदान, अनुदान या जारी करने के लिये हकदार होना अपने को प्रकट नहीं करेगा, जिसमें यह कथन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो कि उसके धारक या गृहीता या पाने वाले ने किसी संस्था में व्यक्तिगत रूप से पाठयक्रम का अनुसरण किया है और संस्कृत प्राथमिक, प्रथमा, पूर्वमध्यमा, उत्तरमध्यमा एवं शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा, जिसके वर्णन में उसके संस्कृत प्राथमिक, प्रथमा, पूर्वमध्यमा, उत्तरमध्यमा एवं शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र परीक्षा होने के प्रति विश्वास कराने की युक्ति-युक्त प्रकल्पना हो, उत्तीर्ण किया है।

संस्था में प्रवेश पाने के लिये किसी दान आदि के आदान पर रोक

किसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और संस्था का प्रधान या अध्यापक/अध्यापिका या कोई अन्य कर्मचारी ऐसे संस्था में प्रवेश देने या प्रवेश के उपरान्त पूर्ववत् रहने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में किसी छात्र / छात्रा से अथवा उसकी ओर से राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये किसी आदेश में विनिर्दिष्ट दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहें. वह नगद हो या वस्तु के रूप में, न लेगा, न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा।

बारा 12 अधवा 13 का डल्लंघन करने के लिये

HUD TENDS HORDS for DAVID DIN

धारा 12 अथवा 13 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। और यदि ऐसा उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई

सोसायटी या व्यक्तियों का कोई समुदाय है तो ऐसी सोसाइटी या समुदाय के प्रत्येक सदस्य को, जो जानबूझकर और स्वेच्छा से ऐसे उल्लंघन को प्राधिकृत करता है या अनुज्ञा देता है, इसी प्रकार दण्डित किया जा सकेगा।

दान का उचित उपयोग

जहां किसी संस्था द्वारा जिसमें राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से संचालित एवं पोषित संस्था भी सम्मिलित है, अंशदान या दान, चाहे वह नगद हो या वस्तु के रुप में लिया या प्राप्त किया जाता है, वहां इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए वह संस्था को दिया गया है और राज्य सरकार अनन्य रुप से संचालित एवं पोषित संस्था की दशा में नगद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाता में जमा किया जायेगा। जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायेगा।

#### भाग-छः

राज्य सरकार की शक्तियाँ

राज्य सरकार की शक्तिया-

(1) राज्य सरकार को परिषद द्वारा संचालित किये गये किसी भी कार्य के सम्बन्ध में परिषद को सम्बोधित करने तथा किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिसमें परिषद सम्बन्धित हो, परिषद को अपने विचार सूचित करने की शक्ति होगी।

(2) परिषद् राज्य सरकार को उनके पत्र पर की गयी अथवा की जाने के निमित्त प्रस्तावित कार्यवाही की यदि कोई हो, सूचना देगी।

(3) यदि परिषद उचित समय के भीतर राज्य सरकार के सन्तोषानुसार कार्यवाही न करें तो परिषद् द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी स्पष्टीकरण या उसके द्वारा दिये गये अन्यावेदन पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार इस अधिनियम से संगत ऐसे निदेश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे और परिषद ऐसे निर्देशों

का पालन करेगी।

(4) जब कभी सरकार की राय में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक या समीचीन हो, तो वह परिषद् को पूर्ववर्ती उप्रबन्धों के अधीन कोई निर्देश किये बिना इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसा आदेश दे सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे और विशिष्टतः ऐसे आदेश द्वारा किसी विषय से सम्बन्धित किसी विनियम का परिष्कार, विखण्डन या रचना कर सकती है। और तद्नुसार परिषद् को तत्काल सूचना देगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही पर आपत्ति नहीं की जायेगी।

#### भाग-सात

परिषद् के समापति की शक्तियाँ, सचिव की नियुक्ति, उसकी शक्तियां और कृत्य तथा परिषद् की समितियों का गठन तथा समितियों को शक्तियां प्रतिनिहित किया जाना

- परिषद् के पदाधिकारी 17. परिषद् के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :-
  - (1) समापति,
    - (2) सचिव
    - (3) ऐसे अन्य पदाधिकारी, जिन्हें विनियमों द्वारा परिषद का पदाधिकारी घोषित किया जाये।
- सभापति की शक्तियाँ और 18.
- (1) सभापति का यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखें कि इस कृत्य अधिनियम और विनियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है और उसे तत्प्रयोजनार्थ आवश्यक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।
  - (2) सभापति को परिषद् की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और वह यथोचित सूचना देने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे अधियाचन पर जिस पर परिषद की कुल सदस्यता के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तथा जिसमें बैठक में सम्पादित किये जाने वाले कार्य का उल्लेख हो, बैठक बुलायेगा।
  - (3) परिषद के प्रशासनिक कार्य के सम्बन्ध में पैदा होने वाली किसी ऐसी आपत्तिक स्थिति में, जिसमे सभापति के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित हो सभापति ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक समझे और उसके पश्चात् परिषद् को उसकी अगली बैठक में अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना देगा।
    - (4) समापति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जाये।
- सचिव की नियुक्ति, उसकी 19. (1) सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे शक्तियां और कृत्य निर्बन्धनों और शर्तो पर की जायेगी, जैसी नियमों में विहित की जाये।
- (2) परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुये सचिव परिषद् का प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह वार्षिक अनुमान और लेखा विवरण प्रस्तृत करने के लिये उत्तरदायी होगा।
  - (3) वह यह देखने के लिये उत्तरदायी होगा कि समस्त धनराशियां उन्हीं प्रयोजनों के लिये व्यय की जाती है जिसके लिये वे स्वीकृत या प्रविष्ट की गयी हों।
- (4) वह परिषद् का कार्यवृत्त रखने के लिये उत्तरदायी होगा।
- (5) वह परीक्षाओं के संचालन के लिये ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हों।
  - (6) वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जाये।

समितियों का गठन

- (1) परिषद विनियमों में विहित रीति से निम्नलिखित समितियों को 20. गठित कर सकेंगी भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए ऐसी भिन्न-भिन्न समितियां गठित की जा सकेंगी।
  - (2) परिषद् की निम्नलिखित समितियां होंगी।
    - (क) पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम समिति,
    - (ख) परीक्षा समिति,
    - (ग) परीक्षाफल समिति.
    - (घ) मान्यता समिति और
    - (ड) वित्त समिति.
- (3) पूर्वीक्त समितियों में केवल परिषद् के सदस्य ही सम्मिलित होंगे और इन समितियों का गठन इस प्रकार होगा कि प्रत्येक समिति में यथासम्भव निम्नलिखित वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के एक-एक सदस्य को प्रतिनिधत्व दिया जा सके।
- (क) धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा (ग) में उल्लिखित संस्थाओं के प्रधान।
  - (ख) घारा ६ की उपधारा (1) के खण्ड (घ) में उल्लिखित शिक्षक
- (ग) घारा ६ की उपधारा (1) के खण्ड (इ) तथा (छ) में उल्लिखित प्राध्यापक।
  - (घ) धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (च), (ज), (झ), (अ), (ट),(ठ) तथा (ढ) और धारा ६ उपधारा (२) में उल्लिखित व्यक्ति।
  - (ङ) घारा ६ की उपघारा (1) के खण्ड (ड) तथा (ण) में उल्लिखित व्यक्ति

परन्तु यह कि परिषद् का कोई सदस्य इन समितियों में एक से अधिक समितियों का सदस्य नियुक्त नहीं हो सकेगा और समितियों के सदस्यों का कार्यकाल उनकी परिषद् की सदस्यता के साथ समाप्त होगा।

- (4) उपधारा (2) में उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त परिषद की अन्य समितियां यदि कोई हों जो विहित की जांय गठित कर सकेंगे और राज्य के मिन्न-मिन्न क्षेत्रों के लिये ऐसी मिन्न-मिन्न समितियां गठित की जा सकेंगी।
- (5) पूर्वोक्त समितियों का गठन ऐसी रीति तथा ऐसी अवधि के लिये किया जा सकेगा जो विहित किया जाये।

परिषद् द्वारा समितियों को 21. इस अधिनियम द्वारा परिषद् को प्रदान किये गये ऐसे अधिकारों के प्रयोग से सम्बन्धित समस्त विषय जिन्हें परिषद् ने विनियम द्वारा अपनी किसी समिति को प्रतिनिहित किया हो, उक्त समिति को अभिदिष्ट किये गये समझे जायेंगे और परिषद् ऐसे किसी अधिकार

प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग

का प्रयोग करने से पूर्व सम्बन्धित विषय के बारे में समिति की रिपोंट प्राप्त करेगी और उस पर विचार करेगी।

#### विनियम बनाने की परिषद 22 की शक्ति

- (1) परिषद निम्नलिखित विषयों में से किसी एक या अधिक का उपबन्ध करने के लिये विनियम बना सकेगी अर्थात-
- (क) समितियों का संगठन उनके अधिकार और कर्तव्य।
- (ख) डिप्लोमाओं तथा प्रमाण-पत्र का प्रदान करना।
- (ग) परिषद की परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिये संस्थाओं को मान्यता प्रदान किये जाने की शर्ते।
- (घ) समस्त प्रमाण-पत्रों तथा डिप्लोमा के लिये निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठयक्रम।
- (इ) वे शर्ते जिनके अधीन अभ्यर्थी परिषद् की परीक्षाओं में प्रविष्ट किये जायेंगे और डिप्लोमाओं तथा प्रमाण-पत्रों के पाने के पात्र होंगे।
- (च) परिषद की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए शुल्क।
- (छ) परीक्षाओं का संचालन।
- (ज) परीक्षकों की नियुक्ति तथा परिषद् की परीक्षाओं के सम्बन्ध में उनके कर्तव्य और अधिकार
- (झ) मान्यता के विशेषाधिकारों के लिये संस्थाओं का प्रविष्ट किया जाना तथा मान्यता का वापस लेना।
- (ञ) संस्थाओं के निरीक्षण, पर्यवेक्षण, प्रबन्ध तथा मान्यता के सम्बन्ध में ग्राम, न्याय पंचायत, विकास खण्ड, जिला, मण्डल स्तर पर समितियों का गठन तथा उनको अधिकारों का प्रतिनिधायन।
- (ट) ऐसे समस्त विषय जिनकी इस अधिनियम के अनुसार विनियमों द्वारा व्यवस्था की जानी हो या की जा सके।
- (ठ) वे शर्ते जिनके अधीन परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायक अनुदान दिये जायेंगे।
- अभिभावक—अध्यापक ऐसोशिएसन का गठन।
- (2) उपघारा 1 के अधीन कोई विनियम राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से बनाया जायेगा। अन्यथा नहीं।
- (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये परिषद निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिये, उपबन्ध करने के लिये उपविधियां बना सकती है, अर्थात्-
- (क) परिषद् तथा उसकी समितियों की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली, प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिये सदस्यों की संख्या का अवधारण.
- (ख) ऐसे विषय जिनकी इस अधिनियम तथा विनियमों द्वारा व्यवस्था

#### परिषद् की उपविधियां बनाने की शक्ति

न की गयी हो।

(2) राज्य सरकार परिषद् या उसकी समिति द्वारा इस घारा के अधीन बनायी गयी किसी उपविधि में संशोधन या विखंडन का निर्देश दे सकेगी।

और उसकी समितियों की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना। परिषद या उसकी समिति 25. अधिकारियों एवं

रिक्तियों आदि से परिषद 24. परिषद को कोई भी कार्य या कार्यवाही परिषद में कोई रिक्ति विद्यमान होने या उसके गठन में त्रुटि होने के आधार पर ही प्रश्नगत या अविधिमान्य नहीं होगी।

सेवक होना परीक्षा के दौरान सहायता 26.

कर्मचारीवृन्द का लोक

परिषद या उसकी समितियों के अधिकारी तथा कर्मचारीवृन्द (भारतीय दण्ड संहिता, 1860) (1860 का 45) की उपधारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जायेंगे।

(1) परिषद की परीक्षाओं के संचालन, ऐसी परीक्षा में उत्तर के लिये उपबन्ध पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और परीक्षाफल तैयार करने के लिये प्रबन्ध समिति, संस्था का प्रधान, प्रत्येक अध्यापक / अध्यापिका और अन्य कर्मचारी किसी संस्था के सम्बन्ध में इस अधिनियम के द्वारा इसके अधीन अपेक्षित साँपी गयी या अभ्यर्पित सहायता देगा, कर्तव्यों का पालन करेगा और कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(2) यदि निदेशक का यह समाधान हो जाय कि कोई ऐसी समिति. संस्था का प्रधान अध्यापक / प्रधानाध्यापिका या कर्मचारी उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी निर्देश का पालन करने में असफल रहा है तो वह परिषद की परीक्षाओं के संचालन, ऐसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन या उनका परीक्षाफल तैयार करने के लिये ऐसे उपाय (जिसके अन्तर्गत संस्था के भवन, फर्नीचर या किसी सम्पति का अधियाचन करना और उसे कब्ज़े में लेना भी है।) और ऐसी अवधि के लिये कर सकता है जो उसे उसके लिये आवश्यक प्रतीत हो।

#### भाग-आठ

प्रशासन योजना, प्रबन्ध समिति का कार्यकाल प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति

27. (1) किसी विधि, लेख या किसी न्यायालय के डिग्री या आदेश अथवा अन्य लिखित में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था के लिये एक प्रशासन योजना होगी, (जिसे एतत्पश्चात् प्रशासन योजना कहा गया है) जिसे मान्यता प्राप्ति के लिये दिये गये आवेदन पत्र के साथ निदेशक की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत

किया जायेगा। प्रशासन योजना द्वारा अन्य विषयों के साथ-साथ एक प्रबन्धन समिति (जिसे एतत्पश्चात् प्रबन्ध समिति कहा गया है) के संगठन की व्यवस्था की जायेगी। जिसमें संस्था के मामलों के प्रबन्ध तथा संचालन का प्राधिकार निहित होगा। संस्था के प्रधान और उसके दो अध्यापक, जो ज्येष्ठता के अनुसार बारी बारी से विनियमों द्वारा विहित रीति से चुने जायेंगे। प्रबन्धन समिति के पदेन सदस्य होंगे और उन्हें मत देने का अधिकार होगा।

- (2) जब भी कभी प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य के वैयक्तिक आचरण से सम्बन्धित किसी आरोप पर विचार किया जा रहा हो, तब वह सदस्य न तो समिति की बैठक में भाग लेगा और न अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।
- (3) विनियमों के अधीन रहते हुये प्रशासन योजना में संस्था के यथा स्थिति प्रधान तथा प्रबन्ध समिति के अलग—अलग अधिकार, कर्तव्य और कृत्य भी बताये जायेंगे।
- (4) किसी निकाय या प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक मान्यता प्राप्त संस्थाओं का अनुरक्षण किये जाने की दशा में प्रत्येक संस्था के लिये उस समय तक अलग—अलग प्रबन्ध समिति होगी, जब तक कि विनियमों में संस्थाओं के किसी वर्ग विशेष के लिये अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो।
- (5) प्रत्येक संस्था की प्रशासन योजना निदेशक के स्वीकृति के अधीन होगी और प्रशासन योजना में किसी भी समय कोई संशोधन या परिवर्तन निदेशक के पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा,

परन्तु यह कि यदि किसी संस्था का प्रबन्धाधिकरण प्रशासन योजना में कोई संशोधन या परिवर्तन का अनुमोदन न करने के निदेशक के आदेश से व्यथित हो तो प्रबन्धाधिकरण के अभ्यावेदन पर यदि राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि प्रशासन योजना में वैयक्तिक संशोधन या परिवर्तन संस्था के हित में है तो वह निदेशक को उसका अनुमोदन करने का आदेश दे सकती है और तदुपरान्त निदेशक तदनुसार कार्यवाही करेगा।

- (6) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध उपधारा (1) से उपधारा
- (5) तक तथा धारा 29 और 30 के अधीन और उनके अनुसार बनायी गयी प्रशासन योजना के अनुसार किया जायेगा।

(7) जब भी किसी संस्था के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तब ऐसे व्यक्तियों द्वारा,जिनका संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा ऐसी जाँच करने पर जिसे उचित समझा जाय उसके

कार्यकलापों पर वास्तविक नियंत्रण पाया जाय, इस अधिनियम के

प्रयोजनों के लिए ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति के गठन को तब तक मान्यता दी जा सकती है, जब तक कि सक्षम अधिकारितायुक्त कोई न्यायालय अन्यथा निदेश न दें, परन्तु यह कि संयुक्त निदेशक संस्कृत शिक्षा इस उपधारा के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व पक्षकारों को लिखित अभ्यावेदन करने का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करेगा। and the same of the same of the same of the same

स्पष्टीकरण- इस प्रश्न का अवधारण करने में, कि संस्था के कार्यकलापों पर किस व्यक्ति का वास्तविक नियंत्रण है, संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा संस्था की निधि पर और उसके प्रशासन पर नियंत्रण, को उसकी सम्पत्तियों से आय की प्राप्ति, उपधारा (5) के अधीन अनुमोदित प्रशासन योजना और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा।

किसी ऐसी संस्था, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या अनुसूची से असंगत न पश्चात् मान्यता प्राप्त हो, के सम्बन्ध में प्रशासन योजना अनुसूची एक में निर्धारित सिद्धान्तों से असंगत न होगी।

जहां किसी संस्था के सम्बन्ध में, प्रशासन योजना इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व किसी समय घारा 27 के अधीन अनुमोदित हो या अनुमोदित समझी गयी हो और ऐसी प्रशासन योजना अनुसूची एक के उपबन्धों से असंगत हो, वहां संस्था द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से छः महीने के भीतर प्रशासन योजना का प्रारूप प्रथम अनुसूची में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार तैयार कर निदेशक की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रशासन योजना संशोधन 30. (1) धारा 27 अथवा धारा 29 के अधीन प्रस्तुत प्रशासन योजना में निदेशक किसी परिवर्तन या उपान्तरण का सुझाव देते हुये ऐसी संस्था को एक नोटिस ऐसी समयावधि के भीतर, जो विहित की स्वीकार किया जाना जाय, भेजेगा और संस्था से नई प्रशासन योजना प्रस्तुत करने या वर्तमान योजना में संशोधन या परिवर्तन करने की अपेक्षा करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रशासन योजना में कोई सुझाव देते समय निदेशक उसके लिये अपने कारणों का उल्लेख करेगा और संस्था को ऐसी अवधि के भीतर जैसी नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाय, अभ्यावेदन देने का अवसर भी देगा।

(3) निदेशक उपचारा (2) के अनुसार दिये गये किसी अभ्यावेदन पर विचार करेगा और प्रशासन योजना को उसके मूल रूप में या उपघारा (1) के अधीन सुझाये गये किसी परिवर्तन या उपान्तर के अधीन रहते हुये या ऐसे किसी अन्य परिवर्तन के साथ, जो उसे

होना

प्रशासन योजना का 29. निदेशक के समझ स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया

या परिवर्धन की अपेक्षा और प्रशासन योजना का

ठीक और उचित प्रतीत हो अनुमोदित कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां निदेशक प्रशासन योजना में किसी नये परिवर्तन या उपान्तरण का प्रस्ताव करता है वहां वह संस्था को ऐसी अवधि के भीतर, जिसे वह विनिर्दिष्ट करें अभ्यावेदन देने का अवसर देगा।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये निदेशक ऐसी समयावधि के भीतर, जो विहित की जाय, या तो धारा 27 अथवा घारा 29 के अधीन प्रस्तुत किये गये प्रशासन योजना प्रारूप को स्वीकृत करेगा, या उसमें किसी परिवर्तन या परिष्कार का सुझाव देगा। निदेशक प्रशासन योजना प्रारूप में विनियमों द्वारा विहित की गयी समयावधि के भीतर किसी परिवर्तन या परिष्कार का सुझाव न दें तो प्रशासन योजना प्रारूप स्वीकृत समझा जायेगा।

इस अधिनियम की घारा 27 के अधीन बनाई गयी प्रशासन योजना में प्रबन्ध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक प्राविधानित नहीं होगा।

- (1) निदेशक स्वयं अथवा अन्य विभागीय अधिकारियों से किसी मान्यता प्राप्त संस्था का समय-समय पर निरीक्षण कर अथवा करा सकता है।
- (2) निदेशक निरीक्षण करने पर या अन्यथा पायी गयी किसी त्रुटि या कमी को दूर करने के लिये प्रबन्धाधिकरण को निदेश दे सकता THE REPORT OF THE PARTY OF THE
- (3) यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा निदेशक को यह समाधान हो जाय कि-
  - (एक) किसी संस्था की प्रबन्ध समिति किसी न्यायालय के निर्णय अथवा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये किसी निदेश का पालन करने में विफल रही है, या
  - (दो) समिति ऐसे अर्हता के जो संस्था में शिक्षा के स्तर को बनाये रखने को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है, अध्यापक वर्ग को नियुक्त करने में विफल रही है, या उसने इस अधिनियम या विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी अध्यापक वर्ग अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग को नियुक्त किया है या सेवा में बनाये रखा
- (तीन) भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रबन्ध समिति के विधिपूर्ण पदधारी होने के अधिकार का दावा करने के सम्बन्ध में किसी विवाद से,

प्रबन्ध समिति का 31. कार्यकाल

मान्यता प्राप्त संस्थाओं का 32. निरीक्षण और दोषों को दूर किया जाना-

सम्बद्ध संस्था के निर्बोध और सुव्यवस्थित प्रशासन पर प्रभाव पड़ा है,

- (चार) समिति संस्था के लिये पर्याप्त और उचित स्थान, पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन सामग्री, प्रयोगशाला उपस्कर या अन्य सुविधाओं की जो ऐसी संस्था के दक्ष प्रशासन के लिये आवश्यक है, व्यवस्था करने में तीन वर्ष लगातार विफल रही है, या
- (पाँच) समिति ने संस्था के हितों के प्रतिकूल उसकी सम्पित को अन्य कार्य में लगाया है, उसका दुरुपयोग, दुर्विनियोग किया है या किसी सम्पित को उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थाओं (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, 1974(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के उपबन्ध का उल्लंधन करके अंतरित किया है, या
- (छः) प्रशासन योजना का प्रारूप धारा 29 के अधीन उसके लिये अनुज्ञात समय के भीतर प्रस्तुत नही किया गया है या संस्था का प्रबन्ध प्रशासन योजना से भिन्न रूप में संचालित किया जा रहा है या संस्था के कार्यकलापों का अन्यथा कुप्रबन्ध किया जा रहा है, या
- (सात) किसी संस्था की प्रशासन योजना, जो इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व अनुमोदित की गयी हो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत है और संस्था की प्रबन्ध समिति धारा 32 के अधीन नोटिस दिये जाने के बावजूद समुचित समय के भीतर उसमें परिवर्तन या उपान्तरण करने में असफल रही है, तो वह मामले की ऐसी संस्था की मान्यता वापस लेने के लिये परिषद को निर्दिष्ट कर सकता है या प्रबन्ध समिति को नोटिस जारी कर सकता है कि वह नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर यह कारण बताये कि क्यों न उपधारा (4) के अधीन आदेश दिया जाय।
- (4) जहाँ किसी संस्था की प्रबन्ध समिति उपघारा (3) के अधीन अनुझात समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर, जैसा निदेशक समय—समय पर अनुमित के कारण बताने में विफल रहे, या जहां प्रबन्ध समिति द्वारा बताये गये कारण पर विचार करने के पश्चात निदेशक का समाधान हो जाय कि उपघारा (3) में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है, वहां उस संस्था के लिये प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्ति—करने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है, और तदुपरान्त राज्य सरकार आदेश द्वारा उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी व्यक्ति को जिसे आगे प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) दो वर्ष से अनिधिक ऐसी

अवधि के लिये जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी संस्था और उसकी सम्पत्तियों का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत कर सकती है,

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार की यह राय है कि संस्था और उसकी सम्पतियों के उचित प्रबन्ध को सुनिश्चित बनाये रखने के लिये ऐसा करना समीचीन है, तो वह समय-समय पर उक्त आदेश के प्रवंतन को एक बार में एक वर्ष से अन्धिक ऐसी अवधि के लिये जैसी वह विनिर्दिष्ट करें. इस प्रकार बढ़ा सकती है कि आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि भी है, किन्तु जिसमें उपधारा 8 में विनिर्दिष्ट अवधि सम्मिलित न होगी, पांच वर्ष से अधिक न हों

परन्तु यह और कि यदि उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संस्था की विधिपूर्ण गठित कोई प्रबन्ध समिति अस्तित्व में न हो तो प्राधिकृत नियंत्रक उस समय तक कार्य करता रहेगा जब तक की राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रबन्ध समिति का विधिपूर्ण गठन हो गया है।

- (5) यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा राज्य सरकार की राय हो कि किसी संस्था के सम्बन्ध में उपघारा (3) के खण्ड तीन या खण्ड पाँच में उिल्लिखित कारण विद्यमान है और संस्था के हित में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है, तो वह उक्त उपघारा में किसी बात के होते हुये भी, ऐसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण को नोटिस जारी कर सकती है कि वह नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर कारण बतायें कि क्यों न ऐसी संस्था के सम्बन्ध में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय।
- (6) जहाँ सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति उपधारा (5) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर, या ऐसे बढाये गये समय के भीतर जैसा राज्य सरकार समय—समय पर अनुमित दें कारण बताने में विफल रहती है या जहाँ प्रबन्ध समिति द्वारा बताये गये कारण पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि उपधारा (3) के खण्ड (तीन) या खण्ड (पांच) में उल्लिखित कोई कारण विद्यमान हों। वहाँ वह आदेश द्वारा और उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसी संस्था के सम्बन्ध में प्राधिकृत, नियंत्रक नियुक्त कर सकती है और तदुपरान्त उपधारा (4) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
- (7) उपघारा (5) में निर्दिष्ट नोटिस तामील किये जाने की तारीख को या इससे पूर्व उपघारा (3) के अधीन निदेशक द्वारा जारी की गयी प्रत्येक नोटिस जो ऐसी तामील की तारीख को अन्तिम रूप से

निस्तारित न की जा चुकी हो उक्त तारीख से स्थगित समझी जायेगी

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार द्वारा उपधारा (5) के अधीन जारी की गई नोटिस उन्मोचित की जाय तो उपधारा की कोई बात निदेशक की उपधारा (3) के खण्ड (तीन) और (पांच) में उल्लिखित कारणों से मिन्न कारणों से कार्यवाही करने में बाधक नहीं समझी जायेगी।

(8) यदि राज्य सरकार की राय हो कि सम्बद्ध संस्था के हित में प्रबन्ध समिति को भी तुरन्त निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है तो वह उपधारा (5) के अधीन नोटिस जारी करते समय, आदेश द्वारा और उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, प्रबन्ध समिति को निलम्बित कर सकती है और संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिये, बाद में उपधारा (6) के अधीन होने वाले आदेश तक की अवधि के लिये ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिसे वह उचित समझे:

परन्तु यह कि निलम्बन उस तारीख से, जब वह प्रभावी हो, छः मास से अधिक के लिये प्रवृत्त नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण-(एक)-सन्देहों को दूर करने के लिये एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उपघारा (4) या उपघारा 8 में विनिर्दिष्ट समयाविंघ की गणना करने में उतनी अविध को अपवर्जित किया जायेगा जिसके दौरान आदेश का प्रवर्तन उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके निलम्बित किया गया हो।

(दो) उपधारा (4) या उपधारा (6) की कोई बात राज्य सरकार को उक्त किन्ही उपबन्धों के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के आदेश को प्रतिसंहत करने से प्रवास्ति नहीं करेगी।

(9) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि उपधारा (4) या उपधारा (8) के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक को संस्था की किसी स्थावर सम्पति का (प्रबन्ध के सामान्य क्रम में माह प्रतिमाह किराये पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे भारित करने (सिवाय राज्य सरकार या भारत सरकार से संस्था के लिये कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) की शक्ति है।

(10) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश संस्था या उसकी सम्पत्ति के प्रबन्ध और नियंत्रण से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियमित या किसी लिखित (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) में निहित किसी असंगत बात के होते हुये भी, प्रभावी होगा.

परन्तु यह कि संस्था की सम्पत्ति और उससे प्राप्त किसी आय का उपयोग किसी ऐसे लिखित में यथा उपबन्धित संस्था के प्रयोजनों के लिये किया जाता रहेगा।

(11) निदेशक प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसे निदेश दे सकता है, जैसे वह संस्था या उसकी सम्पत्ति के समुचित प्रबन्ध के लिये आवश्यक समझें, और प्राधिकृत नियंत्रक उन निदेशों को कार्यान्वित करेगा।

(12) उपघारा (3) के अधीन किये गये निदेश के अनुसरण में परिषद के द्वारा मान्यता वापस लेने के किसी आदेश और निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन दिये गये किसी आदेश या निर्देश पर सक्षम न्यायालय को छोड़कर किसी न्यायालय में कोई आपित नहीं की जायेगी, और इस धारा के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गयी या की जाने वाली किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय को छोड़कर किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

(13) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार या प्राधिकृत नियंत्रक को प्रदत्त किन्ही शक्तियों के अतिरिक्त होंगी, न कि उनका अल्पीकरण करेंगी।

(14) उपधारा (3) से (13) की कोई बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था पर लागू नहीं होगी।

(1) जहाँ घारा 32 की उपघारा (4) या उपघारा (8) के अधीन कोई प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय, वहां—

(क) वह सम्बद्ध संस्था और उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध उसकी प्रबन्ध समिति को अपवर्जित करके, अपने अधिकार में ले लेगा और उसे ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार आरोपित करें, ऐसी समस्त शक्तियाँ और प्राधिकार होंगे, जैसे समिति को प्राप्त होते, यदि संस्था और उसकी सम्पत्ति उक्त उपधाराओं के अधीन अधिकार में न ली गयी होतीं.

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में संस्था की कोई सम्पत्ति हो, तुरन्त ऐसी सम्पत्ति को प्राधिकृत नियंत्रक को साँप देगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में धारा 32 की उपचारा (4) या उपचारा (8) में निर्दिष्ट आदेश की तारीख को संस्था

प्राधिकृत नियंत्रक की 33. नियुक्ति

या उसकी सम्पत्ति से सम्बद्ध कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज हैं. प्राधिकृत नियंत्रक को उक्त पुस्तक और अन्य दस्तावेज देने के लिये उत्तरदायी होगा और उन्हें उसको या ऐसे व्यक्ति को देगा जिसे प्राधिकृत नियंत्रक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें।

(3) प्राधिकृत नियंत्रक संस्था या उसकी सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर कब्जा और नियंत्रण दिये जाने के लिये कलेक्टर को आवेदन कर सकता है, और कलेक्टर प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसी संस्था या सम्पत्ति का कब्जा दिलाने के लिये समस्त आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, और विशिष्ट रूप से ऐसे बल का प्रयोग कर सकता या करा सकता है जो आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण-इस धारा और धारा 32, में जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, किसी संस्था के सम्बन्ध में, "सम्पत्ति" के अन्तर्गत संस्था के स्वामीत्वाधीन या उसके लाभ के लिये पूर्णतः या अंशतः विन्यासित ऐसी समस्त जंगम और स्थावर सम्पत्ति है जिसमें भूमि, भवन, (छात्रावास सहित), निर्माण कार्य, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण, उपस्कर, फर्नीचर, लेखन-सामग्री, स्टोर, आटोमोबाइल और अन्य गाडियाँ, यदि कोई हो, सम्मिलित है। और संस्था से सम्बन्धित अन्य वस्तुयें हस्तस्थ नकदी, बैंक नकदी, फीस से आय, छात्र निधि और सरकारी अनुदान, विनियोग और वही ऋण, और ऐसी सम्पत्ति से जो संस्था के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हों, उत्पन्न होने वाले समस्त अन्य अधिकार और हित, और समस्त लेखा बही, रजिस्टर और उससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समस्त उघार, दायित्व और बाध्यतायें भी समझी जायेंगी।

#### भाग-नौ

अध्यापकों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति, चयन समिति का गठन

संस्था के प्रधान, अध्यापकों 34. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, संस्था के प्रधान तथा कर्मचारियों की और संस्था के अध्यापक एतद्पश्चात् व्यवस्थित रीति से प्रबन्ध नियुक्ति कार्य किया समिति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(2) संस्था के प्रधान और संस्था के अध्यापक का पद सिवाय पदोन्नित द्वारा भरे जाने के लिये विहित सीमा तक, संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा को रिक्ति की सूचना देने तथा संयुक्त निदेशक प्रबन्ध समिति को यह निर्देश देंगे कि वे रिक्ति को कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में जिनका राज्य में व्यापक परिचालन हो, विहित विवरण सहित विज्ञप्ति करने के पश्चात सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

- (3) कोई व्यक्ति संस्था का प्रधान या संस्था का अध्यापक तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक की विनियमों में विहित अर्हता उसके पास न हो।
- (4) उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित विज्ञापन के अनुसरण में संस्था के प्रधान या संस्था के अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिये प्रत्येक आवेदन पत्र ऐसी फीस सहित, जिसका संदाय ऐसी रीति से किया जायेगा जो विहित की जाय, सहायक शिक्षा निदेशक संस्कृत को दिया जायेगा।
- (5) (एक) उपघारा (4) के अधीन आवेदन—पत्र प्राप्त होने के पश्चात् सहायक शिक्षा निदेशक संस्कृत ऐसे प्रत्येक आवेदन पत्र के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया और सिद्धान्तों के अनुसार गुणविशेषता अंक दिलायेगा, और तत्पश्चात् आवेदन—पत्र प्रबन्ध समिति को अग्रसारित करेगा।
- (दो) आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही, अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जाना और चयन समिति की बैठक विनियमों के अनुसार होगी,
- (6) चयन समिति एक सूची तैयार करेगी जिसमें पद हेतु नियुक्ति के लिये उपर्युक्त पाये गये यथासाच्य तीन अन्यर्थियों के नाम अधिमान क्रम में होंगे और ऐसी सूची के साथ अपनी सिफारिश समिति को संसूचित करेगी।
- (7) उपधारा (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रबन्ध समिति उपधारा (6) के अधीन चयन समिति की सिफारिशों की प्राप्ति कर सर्वप्रथम चयन समिति के प्रथम अधिमान्यता प्राप्त अभ्यर्थी को और उसके पद ग्रहण करने में विफल होने पर इस धारा के अधीन चयन समिति के द्वारा तैयार की गयी सूची में उसके तुरन्त बाद वाले अभ्यर्थी को और ऐसे अभ्यर्थी की भी विफलता पर उस सूची में विनिर्दिष्ट अन्तिम अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करेगी।
- (8) यदि प्रबन्ध समिति चयन समिति की सिफारिश से सहमत न हो तो वह असहमति के कारणों सिंहत मामला संस्था के प्रधान के पद पर नियुक्ति की स्थिति में संयुक्त शिक्षा निदेशक, संस्कृत को और संस्था के अध्यापक के पद पर नियुक्ति की स्थिति में सहायक शिक्षा निदेशक, संस्कृत को निर्दिष्ट करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।
- (9) यदि नियुक्ति के लिये चयन समिति द्वारा अनुमोदित कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो इस धारा में निर्धारित रीति से फिर भी चयन किया जायेगा।
- (10) यदि संस्था के प्रधान की नियुक्ति की स्थिति में, राज्य सरकार

का और संस्था के अध्यापक की नियुक्ति की स्थिति में, निदेशक का यह समाधान हो जाय कि यथास्थिति, संस्था के प्रधान या अध्यापक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके की गई है तो, यथास्थिति, राज्य सरकार या निदेशक ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी नियुक्ति रद्द कर देगा और ऐसे परिणामी आदेश देगा, जो आवश्यक हों।

- (11) कोई पुरुष अभ्यर्थी बालिका संस्था में किसी प्रधान अथवा अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु इस उपधारा की कोई बात निम्नलिखित के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी—
- (क) किसी बालिका संस्था में पहले से स्थाई अध्यापक के रूप में काम कर रहे किसी अभ्यर्थी की उसी संस्था के प्रधान के पद से मिन्न अध्यापक के किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, या
  - (ख) संगीत विषय के लिये किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी की अध्यापक के रूप में नियुक्ति
  - (12) संस्था में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये चयन प्रकिया ऐसी होगी, जैसी विनियमों में विहित की जाय।

#### चयन समिति का गठन 35.

- (1) संस्था के प्रधान के रूप में नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चयन के लिये एक चयन समिति होगी जो निम्नलिखित से गठित होगी-
- (एक) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य जिसे समिति प्रस्ताव द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट करें। -समापति,
- (दो) प्रबन्ध समिति के द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट खण्ड (एक) में निर्दिष्ट व्यक्ति से मिन्न, सदस्य,
- (तीन) इस धारा के अधीन तैयार की गयी नामिका में से निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ जो उस जिले के न हों, जिसमें वह संस्था स्थित है.
- (2) 'संस्था में अध्यापक की नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चयन के लिये एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :--
- (एक) प्रबन्ध समिति द्वारा उस निमित्त प्रस्ताव द्वारा नाम निर्देष्ट समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य जो सभापति, होगा,
  - (दो) ऐसी संस्था का प्रधान,
  - (तीन) इस धारा के अधीन तैयार की गयी नामिका में से संयुक्त शिक्षा निदेशक संस्कृत द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ जो उस जिले के न हों जिसमें संस्था स्थित है।

(3) संस्था में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों का चयन निम्न प्रकार से होगा—

(एक) स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियमित चयन।

(1) प्रबन्ध समिति द्वारा उस निमित्त प्रस्ताव द्वारा नाम निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य जो सभापति, होगा,

(2) ऐसी संस्था का प्रधान.

- (3) संयुक्त शिक्षा निदेशक संस्कृत द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रान्तीय शिक्षक सेवा संवर्ग से अनिम्न श्रेणी का एक अधिकारी
- (दो) निदेशक / समापति की संस्तुति के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के माध्यम से चयन।
- (4) संस्था में समूह 'घ' के कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी।

संस्थाओं के प्रघान, 36. अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्ते

- (1) मान्यता प्राप्त संस्था में सेवायोजित प्रत्येक व्यक्ति सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होगा, जो विनियमों द्वारा विहित की जाय और प्रबन्धाधिकरण तथा ऐसे कर्मचारी के बीच किया गया कोई करार, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों या विनियमों से असंगत हो, शुन्य होगा।
- (2) उपघारा (1) द्वारा प्रदान किये गये अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनियमों में निम्नलिखित के लिये व्यवस्थायें की जा सकती हैं—
- (क) परिवीक्षा की अवधि, स्थायीकरण की शर्ते और पदोन्नित तथा दण्ड देने की प्रक्रिया और शर्ते (जिसके अन्तर्गत जांच या अपेक्षित जांच होने तक या नैतिक पतन समन्वित किसी अपराघ के लिये किसी दण्डित मामले में अन्वेषण, जांच या विचार किये जाने तक निलम्बन भी है) तथा निलम्बन की अवधि के लिये उपलब्धियां और नोटिस देकर सेवा समाप्ति किया जाना सम्मिलित है।
- (ख) वेतन-क्रम तथा वेतनों का संदाय,
- (ग) एक मान्यता प्राप्त संस्था से दूसरी में सेवा का स्थानान्तरण,
- (घ) छुट्टी प्रदान करना और भविष्य निधि तथा अन्य लाभ, और
- (ड) कार्य और सेवा के अभिलेख का रखा जाना।
- (3) (क) कोई भी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या अध्यापक सहायक निदेशक की लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति के बिना न तो सेवामुक्त किया या सेवा से हटाया या पदच्युत किया जा सकेगा, न पंक्तिच्युत किया जा सकेगा और न ही उसकी उपलब्धियों में कोई कमी की जा सकेगी और न उसे सेवायें समाप्त करने का नोटिस दिया जा

सकेगा। संयुक्त निदेशक के निर्णय की सूचना उस अवधि के भीतर दी जायेगी, जो विनियमों द्वारा विहित की जाय।

(ख) संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा प्रबन्धाधिकरण द्वारा प्रस्तावित दण्ड को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है या उसे घटा या बढ़ा सकता है या सेवायें समाप्त करने की नोटिस को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है,

परन्तु यह कि दण्ड के मामलों में संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा आदेश जारी करने के पूर्व प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या अध्यापक को इस बात का एक अवसर देगा कि वह नोटिस की प्राप्ति की तारीख से एक पखवाड़े के भीतर कारण बताये कि उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों न दिया जाय।

(ग) कोई प्रक्ष खण्ड (ख) के अधीन किसी संयुक्त निदेशक के आदेश के विरुद्ध आदेश की सूचना पाने की तारीख से एक माह के भीतर निदेशक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और निदेशक ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझें आदेश की पुष्टि कर सकता है या उसे रद या परिष्कृत कर सकता है, जो कि अन्तिम होगा।

(4) उपघारा (3) के अधीन किसी सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश या निर्णय पर सक्षम न्यायालय को छोड़कर किसी न्यायालय में कोई आपिता न की जायेगी और सम्बन्धित पक्ष आदेश या निर्णय में दिये गये निदेशों को उस अवधि के मीतर, जो उसमें निर्दिष्ट की जाय निष्पादित करने के लिये बाध्य होंगे।

- (5) किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक प्रबन्धाधिकरण द्वारा निलम्बित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण की राय में—
- (क) उसके विरुद्ध आरोप इतना गम्भीर न हो कि उसे उसको पदच्युत करना, पद से हटाना या पंक्तिच्युत करना, उचित समझा जाय, या
- (ख) उसके पद पर बने रहने से उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों के संचालन में बाधा पड़ने या उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, या
- (ग) उसके विरुद्ध किसी ऐसे अपराध के लिये दण्ड विषयक मामला अन्वेषण जींच या परीक्षण के अधीन है, जिसमें नैतिक पतन सन्निहित है।
- (6) जब कभी प्रबन्ध समिति द्वारा किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक निलम्बित किया जाय तब उसकी सूचना निलम्बन के आदेश की तारीख से सात दिन के भीतर संयुक्त निदेशक को दी जायेगी और ऐसे विवरण जो विहित किया जाय और उसके साथ सभी सुसंगत दस्तावेज होंगे,

(7) निलम्बन का कोई आदेश, जब तक कि संयुक्त निदेशक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित न हो, उस आदेश की तारीख से साठ दिन से अनिधक अवधि के लिये प्रवृत्त न रहेगा और संयुक्त निदेशक का आदेश अन्तिम होगा और उस पर सक्षम न्यायालय को छोड़कर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(8) यदि किसी समय संयुक्त निदेशक का यह समाधान हो जाय कि संस्था के प्रधान या अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में संस्था के प्रधान या अध्यापक के किसी दोष के बिना निलम्बन किया जा रहा है तो संयुक्त निदेशक प्रबन्धाधिकरण को अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात इस धारा के अधीन दिये गये निलम्बन के आदेश प्रतिसंहत कर सकता है।

(9) कोई व्यक्ति किसी संस्था में नियुक्ति का हकदार नहीं होगा यदि वह सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य या

प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक का सम्बन्धी है।

स्पष्टीकरण-इस उपघारा के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को एक दूसरे से सम्बन्धित समझा जायेगा यदि-

(क) यदि वे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य हों, या

(ख) वे पति या पत्नी हों, या

(ग) द्वितीय अनुसूची में इंगित रीति से एक दूसरे से सम्बन्धित हों

#### भाग-दस राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का संदाय

कर्मचारियों के वेतन का HIGH F STENDING MON PRESIDE TO THE PER LIS

阿尔斯 四日 年 75日 年

THE RUMBERS OF THE RE

राज्य निधि से सहायता 37. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये राज्य निधि से प्राप्त संस्थाओं के सहायता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापक और अन्य कर्मचारियों के वेतन अध्यापक और अन्य का संदाय एतद्पश्चात् व्यवस्थित रीति से किया जायेगा।

अनिधकृत कटौतियाँ किये

- (1) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारियों का समय के भीतर और 38. इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से वैतन उस माह के, जिसके या जिसके किसी भाग के संबंध में वह देय हो, आगामी माह बिना वेतन का संदाय के दसवें दिन अथवा उससे पूर्व के ऐसे दिन जो राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निश्चित करें, की समाप्ति के पूर्व उसे दिया जायेगा।
- (2) उपधारा (3) के उपबन्धों के रहते हुए वेतन का संदाय बिना किसी काट कटौतियों के, सिवाय उनके जो विनियमों द्वास, या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों द्वारा अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हो, किया जायेगा।

निरीक्षण आदि करने का 39. अधिकार

THE PERSON IN PUR SE DIE

NUMBER AND INSTANT OF PARTY

- (3) यदि किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के अध्यापक या अन्य कर्मचारी के वेतन का संदाय प्रबन्धाधिकरण के किसी व्यतिक्रम के कारण उपधारा (1) के अनुसार न किया जाये तो सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा उसका संदाय इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना, धारा 45 में उल्लिखित लेखे में जमा की गयी धनराशि से उस उपधारा में उल्लिखित तारीख से दस दिन के भीतर, यथास्थिति, ऐसे अध्यापक या कर्मचारी द्वारा अन्तिम बार आहरित वेतन की दर पर और नई नियुक्ति की दशा में, उस वेतनमान के न्यूनतम दर पर जिसमें उसकी नियुक्ति की गयी हो, करेगा या करायेगा और तत्पश्चात् ऐसे संदाय के संबंध में समायोजन यथासम्भव शीध किया जायेगा।
- (1) सहायक निदेशक किसी समय, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था का निरीक्षण कर सकता है अथवा करा सकता है या उसके अध्यापकों या कर्मचारियों के वेतन संदाय के संबंध में उसके प्रबन्धाधिकारण से ऐसी सूचना और अभिलेख (जिसके अन्तर्गत रिजस्टर, लेखा बही तथा वाउचर भी है) माँग सकता है अथवा उसके प्रबन्धाधिकरण को ऐसे वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का अनुपालन करने के लिए कोई निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी अध्यापक या कर्मचारी की छंटनी करने अथवा आवश्यक व्यय को रोकने के लिए निदेश भी है) दे सकता है. जिसे वह उचित समझे।

(2) जब उपचारा (1) के अघीन कोई आदेश किसी अध्यापक या कर्मचारी की छटनी उपबन्धों अथवा यथास्थिति, उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

- (3) (क) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और निदेशक किसी भी समय सामान्य अथवा विशेषज्ञ आदेश द्वारा किसी ऐसे अध्यापक को, जो उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 के अधीन किसी आदेश द्वारा निषिद्ध किसी हड़ताल पर जाता है या रहता है या अन्य प्रकार से उनमें भाग लेता है, निदेश दे सकता है कि वह आदेश में निर्दिष्ट दिन या समय तक अपने काम पर उपस्थित हो,
- (ख) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी प्रबन्धाधिकरण के साथ अध्यापक सेवायोजन की संविदा, अध्यापक द्वारा काम पर उपस्थित होने में चूक करने पर उपर्युक्त निदेश में विनिर्दिष्ट दिन या समय से शून्य हो जायेगी,
- (ग) जहाँ खण्ड (ख) के अधीन कोई संविदा शून्य हो जाती है. वहाँ सम्बद्ध अध्यापक की सेवायें समाप्त हो जायेंगी और वह अपनी सेवाओं की ऐसी समाप्ति के पूर्व किसी नोटिस का हकदार न होगा

और न ऐसी कार्यवाही के पूर्व किसी अनुशासनिक जाँच की अपेक्षा की जायेगी, भले ही अधिनियम में यथास्थिति उसकी सेवा की शर्तों में अन्यथा कुछ क्यों न हो.

- (घ) विशेषतया, और एतदर्थ विनिर्दिष्ट परिणामों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे निर्देश में विनिर्दिष्ट दिन या समय के पश्चात् राज्य सरकार किसी अध्यापक के वेतन के संदाय के लिए धारा 50 में किसी बात के होते हुए भी उत्तरदायी नहीं होगी।
- (1) प्रत्येक राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था का प्रबन्धाधिकरण अपने अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन का वितरण करने के प्रयोजनार्थ किसी अनुसूचित बँक या सहकारी बँक में एक पृथक लेखा खोलेगा, जो प्रबन्धाधिकरण के किसी प्रतिनिधि द्वारा और सहायक निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो सहायक निदेशक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाये, संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा।

परन्तु यह कि लेखा खोले जाने के पश्चात् सहायक निदेशक, यदि उसका इस अधिनियम के अधीन बने किन्हीं नियमों के अधीन रहतें हुए, यह समाधान हो जाये कि लोक हित में ऐसा करना इष्टकर है, बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखों का परिचालन केवल प्रबन्धाधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा, और ऐसे अनुदेश को किसी समय विखण्डित कर सकता है।

परन्तु यह और कि उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अभिदिष्ट लेखा में अथवा जब वेतन के वितरण में प्रबन्धाधिकरण की किसी एक चूक के कारण कितनाई उत्पन्न हो, तो सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखा केवल उसके द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जो उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जायें, परिचालित किया जायेगा, और ऐसे अनुदेश को किसी समय विखंडित कर सकता है।

- (2) प्रबन्धाधिकरण ऐसे शुल्क के रूप में, जो राज्य सरकार के तदर्थ सामान्य या विशेष अनुदेशों के अनुसार, और जब तक ऐसे आदेश न दिये जायें, सहायक निदेशक के अनुसार, अनुरक्षण निधि का भाग होती हैं, छात्रों से प्राप्त धनराशि का अस्सी प्रतिशत, या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, वितरित की जाने वाली धनराशियों की अपेक्षता को घ्यान में रखते हुए उससे अधिक प्रतिशत के लिए निर्देश दें, तो ऐसा उच्चतर प्रतिशत, जैसा वह निर्देश दे उक्त लेखा में, ऐसे तारीख तक जो सहायक निदेशक द्वारा सामान्य, या विशेष आदेशों द्वारा निर्दिष्ट किया जायें, जमा करेगा।
- (3) अनुरक्षण अनुदान की समस्त धनराशि और निःशुल्कता तथा अन्य तत्सदृश्य रियायतों की क्षतिपूर्ति के लिए अनुदान से अस्सी प्रतिशत या ऐसे उच्चतर प्रतिशत जो राज्य सरकार या उसके द्वारा

कतिपय राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं की दशा में वेतन का संदाय करने की प्रक्रिया

स्वातना पास्त सरका के अन्यापक वि सक् जिसके जिए पाओं के १ के देवन का सवाब के दाविक एक मानि के करन के जोग के

प्राचित्रक में अभि स्टब्स् में प्राचित्रक मा संदाय साथ संदर्भ में देतन का संदाय साथ संदर्भ

the series for the line of the

मा व्यक्त स्थापित है। इस इस एक स्थापित पूर्वी के अपनेता क्षेत्रक स्थाप

S PU VIIIOS IL PER INI P PER BURNEY GUEST II IBRIO. 27 TOTO III III III

TO S IN OUR P PART

मिन पर मिन क्षार अर्थ इसस्य का अनुपासन कर

भाग कर्ना है के एक उन्होंते सह

प्राधिकृत अधिकारी तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निश्चित करे, की घनराशि राज्य द्वारा उक्त लेखों में जमा की जायेगी। (4) उक्त लेखों में जमा की गयी घनराशि का प्रयोग सिवाय

निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा, अर्थात्—

(क) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से किसी सम्बन्ध में देय होने वाले उक्त वेतनों का संदाय,

(ख) अध्यापकों तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में संस्था

के अंशदान, यदि कोई हो, को जमा करना,

(ग) राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के प्रयोजनार्थ ऐसा अन्य व्यय जिसके लिए राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाये और प्रत्येक वर्ष जुलाई मास के अन्त में खाते में अवशेष धनराशि का ऐसा अंश जो राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को उस अवधि तक, जिसके लिए छात्रों से शुल्क वूसल किया जा चुका हो, के वेतन का संदाय के दायित्व को पूरा करने के बाद उनके एक महीने के वेतन के योग से अतिरिक्त हो, प्रबन्धाधिकरण को राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था पर व्यय के लिए दे दिया जायेगा।

(5) किसी अध्यापक या कर्मचारी के वेतन का संदाय उक्त लेखों से उसी बैंक में उसके लेखों में, यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके, या यदि उसका बैंक में कोई लेखा न हो तो चैक द्वारा किया

जायेगा।

(6) किसी ऐसे स्थान के संबंध में, जहाँ कोई अनुसूचित बैंक, या सहकारी बैंक न हों, इस धारा के उपबन्ध ऐसे परिष्कारों के साथ लागू होंगे जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, और इस धारा में किसी बैंक के लिए अभिदेश उस दशा में किसी डाकघर बचत बैंक के लिए अभिदेश समझे जायेंगे।

(1) यदि सहायक निदेशक का किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था या उसके अभिलेखों का निरीक्षण करने के आधार पर अथवा अन्य प्रकार यह समाधान हो जाये कि उसके प्रबन्धाधिकरण ने धारा 32 के अधीन दिये गये किसी निदेश का या धारा 33 अथवा धारा 40 के किसी उपबन्ध का अनुपालन करने में चूक की है तो यह उपनिदेशक को यह सिफारिश कर सकता है कि उस संस्था के विरुद्ध उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही की जाये।

(2) उपघारा (1) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर उपनिदेशक प्रबन्धाधिकरण को उक्त निदेश या उपबन्ध का अनुपालन करने के लिए अथवा एक सप्ताह के भीतर यह कारण बतलाने के लिए कह सकता है कि क्यों न प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण कर दिया जाये।
(3) यदि प्रबन्धाधिकरण उपर्युक्त का अनुपालन न करे या कारण न

उपबन्धों तथा निदेशों का 41. पर्वर्तन

STATES OF THE STATES

बताये अथवा उपनिदेशक बताये गये कारण को अपर्याप्त समझे, तो वह आदेश द्वारा प्रबन्धाधिकरण का एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाये, अतिक्रमण कर सकता है, और किसी व्यक्ति को (जिसे आगे प्रबन्ध संचालक कहा गया है) उक्त अवधि के लिए राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिए प्राधिकृत कर सकता है.

परन्त् यह कि उपनिदेशक जहाँ वह ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर समझे-

- (i) समय-समय पर उक्त अवधि बढ़ा सकता है, किन्तु इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि कुल मिलाकर पाँच वर्ष से अधिक न हो, या
- (ii) किसी भी समय उक्त आदेश को विखण्डित कर सकता है, परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (ii) की किसी बात से इस धारा के अधीन नया आदेश देने के संबंध में कोई रुकावट न होगी।
- (4) उपघारा (3) के अधीन कोई आदेश दिये जाने पर प्रबन्ध संचालक प्रबन्धाधिकरण को अपवर्जित करके और केवल उपनिदेशक या राज्य सरकार के आदेशों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, प्रबन्धाधिकरण के सभी अधिकारों का प्रयोग और सभी कृत्यों का सम्पादन, जिसके अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति का प्रबन्ध भी है, करेगा और विशेष रूप से धारा 40 में अभिदिष्ट बैंक के लेखे का परिचालन अकेले करेगा,

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि इससे प्रबन्ध संचालक को किसी सम्पत्ति का (प्रबन्ध के सामान्य क्रम में माह प्रतिमाह किराये पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे भारित करने (सिवाय राज्य सरकार के संस्था के लिए - कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) का अधिकार प्राप्त होता है।

(5) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश या निदेश, राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के प्रबन्ध और नियंत्रण से (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) या उसकी अथवा उसमें निहित सम्पत्ति से संबंधित किसी अन्य अधिनियम या कारण में दी गयी किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होगा।

धारा 41 के अधीन प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण करने के उपनिदेशक के आदेश के विरुद्ध अपील प्रबन्धाधिकरण को आदेश संस्चित किये जाने की तारीख से एक माह के भीतर निदेशक के पास की जा सकती है, और निदेशक ऐसी अग्रेतर जाँच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, या तो आदेश को रद्द कर सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता है या उसे परिष्कृत कर सकता है और अपील का निस्तारण होने तक, आदेश का

प्रवर्तन ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है। है जिस्सा रक मान्यतीय प्राप्त कि अर्थ

वीवाद राष्ट्र कार्याचार है गर व

पुनरीक्षण 43. राज्य सरकार धारा 42 के अधीन निदेशक द्वारा निर्णीत किसी अपील के अभिलेख को, निदेशक द्वारा दिये गये किसी आदेश के सही होने या उसके औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के कारणा पर कर का प्रयोजनार्थ माँग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और उस पर ऐसा आदेश दे सकती है, जिसे वह उचित समझे,

भावत एड करती है many क्या विस्ता परन्तु यह कि किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के प्रबन्धाधिकरण का अधिक्रमण करने या उसके अधिक्रमण की अवधि के बढ़ाने के लिए इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाये।

पदों के लिए अनुमोदन

राज्य निधि से सहायता प्राप्त कोई संस्था निदेशक या उसके द्वारा उस निमित्त सशक्त अन्य अधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना अध्यापक या अन्य कर्मचारी का नया पद सुजित नहीं करेगी।

वेतन के संबंध में दायित्व 45. कि में सहस्रका प्राप्त संस्था की

(1) राज्य सरकार प्रत्येक राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के अध्यापकों और कर्मचारियों के ऐसे वेतन के संदाय के लिए उत्तरदायी होगी, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि के पश्चात किसी अवधि के संबंध में देय हो।

मगतनार (मासमी के हैंके प्रम केर्ड yel as mosic as younge many to

(2) राज्य सरकार ऐसी धनराशि को जिसके लिए उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन दायित्व उपगत हो, उस राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति की आय को क्की द्वारा वसूल कर सकती है मानो वह धनराशि राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था द्वारा देय मालगुजारी का कोई बकाया हो।

शास्ति तथा प्रक्रिया 46.

(3) इस धारा की किसी बात से अध्यापक या कर्मचारी के प्रति किन्हीं ऐसे देयों के लिए राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के दायित्व का अल्पीकरण नहीं समझा जायेगा।

(1) यदि घारा 38 के अधीन किसी निदेश अथवा घारा 39 या धारा 40 के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई चूक की जाये तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो चुक की जाने के समय, प्रंबन्धक था, अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसमें राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध और कार्य संचालन करने का प्राधिकार कार के प्राप्त कर दें कि चूक उसकी क किए किए अवाह कि का जानकारी के बिना हुई थी, अथवा उसने ऐसी चूक की जाने को क प्रकार कि कि किए सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी, धारा अनुपालन में चूक करने की दशा में अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो एक हजार रूपये तक हो सकता है और कोई

अन्य चूक करने की दशा में कारावास का दण्ड दिया जायेगा, जो छः माह तक का हो सकता है, या अर्थ दण्ड दिया जायेगा, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

- (2) सक्षम न्यायालय को छोड़कर कोई भी न्यायालय निदेशक की पूर्व स्वीकृति के सिवाय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।
- (3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संडोय होगा, किन्तु कोई पुलिस अधिकारी, जो उप-अधीक्षक के पद से नीचे का हो, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे अपराध का न तो अनुसंघान करेगा न वारन्ट के बिना उसके लिए गिरफ्तारी करेगा।
  - (4) सक्षम न्यायालय को छोडकर कोई भी न्यायालय, जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे का हो, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

## हुदीय असर के 15 कार कि 1001 माग-ग्यारह मान-स्थाप मान पातु (११०) नम् एट-उपन नामान प्रकीर्ण

संस्थाओं के कतिपय वर्गों 47. धारा 27.28,29 धारा 32 की उपधारा (2) से उपधारा (14) तक को कुछ धाराओं के के तथा धारा 33 से धारा 46 के उपबन्ध राज्य सरकार या केन्द्रीय प्रचलन से मुक्ति सरकार द्वारा संचालित एवं स्व वित्त पोषित मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे।

निदेशक द्वारा अधिकारों 48. राज्य सरकार की स्वीकृति के अधीन रहते हुए निदेशक का प्रतिनिधायन सरकारी गजट विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदान किए गए समस्त या किन्हीं अधिकारों को सिवाय उन अधिकारों के जिनका प्रयोग वह परिषद के सभापति के रूप में करता है, संस्कृत शिक्षा विभाग के ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को जो संयुक्तनिदेशक, संस्कृत शिक्षा से भिन्न श्रेणी के न हों. प्रतिनिहित कर सकता है।

सद्भावपूर्वक की कार्यवाही के लिए संरक्षण

इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या विद्यमान समिति या परिषद के या राज्य सरकार के या समिति या परिषद के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के या राज्य सरकार या समिति या परिषद द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र 50. पर रोक

इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग में परिषद या उसकी किसी समिति द्वारा दिए गए किसी आदेश अथवा निर्णय पर सक्षम न्यायालय को छोड़कर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

कठिनाइयों को दूर करने 51. की शक्ति

यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रमावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी. अपन्य रिक्टी सार्वका मान्य है जिल

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा,

परन्तु यह और कि ऐसा प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधान समा के समक्ष रखा जायेगा।

F. III TORS OF BUILDING की व्यवस्थाओं का लागू होना कुछक किसी अनीवह के क्राप्त है

पंचायती राज अविनियम 52. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी पंचायती राज अधिनियम की व्यवस्थाएँ, जहाँ तक वे शिक्षा के प्रबन्ध से संबंधित हैं. लागू होंगी।

निरसन एवं व्यावृत्ति

उत्तरप्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904, (उत्तरप्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की घारा 21 के साथ पठित उत्तरप्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तरप्रदेश अधिनियम संख्या-29 सन् 1974) द्वारा यथा अधिनियमित और संशोधित उत्तरप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-10 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (1-क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रथम परिनियमावली 1978 को संशोधित करने की दृष्टि से, जो उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा -परिषद् अधिनियम, 2014 निर्मित करते है, के पश्चात् इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी। to Charles of people and page of the first per comple

1 (Pris p. mars) 4, other from projects and the second second second

THE REST TO REST AND THE WAS PERSONALLY TO THE REST OF THE PERSON.

#### अनुसूची एक

#### (घारा 28 देखिए)

## सिद्धान्त जिस पर प्रशासन योजना का अनुमोदन किया जायेगा-

प्रत्येक प्रशासन योजना में-

- (1) प्रबन्ध समिति के समुचित और प्रभावी कार्य करने की व्यवस्था होगी;
- (2) नियतकालिक निर्वाचनों द्वारा प्रबन्ध समिति का गठन करने की प्रक्रिया की व्यवस्था होगी;
- (3) प्रबन्ध समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों की अर्हताओं और अनर्हताओं और उनकी पदावधि की व्यवस्था होगी; प्रतिबन्ध यह है कि किसी प्रशासन योजना में ऐसे कोई उपबन्ध नहीं होंगे जो किसी व्यक्ति, जाति, पंथ या परिवार विशेष के पक्ष में एकाधिकार उत्पन्न करते हों।
- (4) बैठक बुलाने और ऐसे बैठकों में कार्य संचालन की प्रक्रिया की व्यवस्था होगी:
- (5) यह व्यवस्था होगी कि सभी विनिश्चय प्रबन्ध समिति द्वारा किए जाय और प्रत्यायोजन की शक्ति, टादि कोई हो, सीमित और स्पष्ट रूप से परिमाषित होगी;
- (6) यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रबन्ध समिति और उसके पदधारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हो;
- (7) संस्था की सम्पत्ति के अनुरक्षण और उसकी सुरक्षा और उसकी निधि का उपयोग करने की भै और लेखों की नियमित जाँच और लेखा परीक्षा की भी व्यवस्था होगी।

#### अनुसूची दो

#### (धारा 36 देखिए)

#### सम्बन्धियों की सूची

- पिता
- माता (जिसमें सौतेली माता भी सम्मिलित है) पुत्र (जिसमें सौतेली पुत्र भी सम्मिलित है) पुत्र-वधू 3
- पुत्री (जिसमें सौतेली पुत्री भी सम्मिलित है) 5.
- 6.
- दादी
- नानी
- नाना 9.
- पीत्र स्थापमा और एस एको छाउ तथीत हुन्य प्रान्तिती 10.
- पौत्र-वध् 11.
- पौत्री 12.
- पौत्री का पति 13.
- 14. दामाद
- 15.
- नाती नाती की पत्नी 16.
- नातिन 17.
- नातिन का पति 18.
- माई (जिसमें सौतेली भाई भी सम्मिलित है) 19.
- भाई की पत्नी 20.
- बहिन (जिसमें सौतेली बहन भी सम्मिलित है) 21.
- बहनोई 22.
- पत्नी (या पति) का भाई 23.
- सस्र 24.
- साली या ननद 25.
- भतीजा 26.
- भतीजी 27.

आज्ञा से.

के0 डी0 मदर, प्रमुख सचिव।

No. 184/XXXVI(3)/2014/41(1)/2014 Dated Dehradun, June 24, 2014

> NOTIFICATION Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'the Sanskrit Education Bill 2014" (Adhiniyam Sankhya 21 of 2014).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 23 June, 2014.

# THE UTTARAKHAND SANSKRIT EDUCATION ACT, 2014 UTTARAKHAND (ACT NO. 21 OF 2014)

WHEREAS, it is expedient to establish a Board to regulate and supervise the system and process of Sanskrit Education, Teacher Education and Departmental Training within the unified structure of Elementary and Secondary Education in Uttarakhand, and to prescribe curriculum therefore-

AN

IT Is HEREBY enacted by the Uttarakhand State Assembly in the Sixty Fifth Year of the Republic India as follows

### PART-I

#### PRELIMINARY

Short title, Extent and Commencement:-

- (a) This Act may be called the Uttarakhand Sanskrit Education Act, 2014.
- (b) It shall come into force at once.
- (c) It extends to the whole of the Uttarakhand State.

Definitions:-

- In this Act unless there is repugnant in the subject or contend
  - (a) "State government" means the government of Uttarakhand.

- (b) "Board" means the Board of Sanskrit Education, Uttarakhand.
- (c) "Director" means the Director of Sanskrit Education, Uttarakhand.
- (d) "Chairman" means the chairman

  Board of Sanskrit Education,

  Uttarakhand.
- (e) "Directorate" means the Directorate of Sanskrit Education, Uttarakhand.
  - (f) "Joint Director" means the Joint Director of the Sanskrit Education, Uttarakhand.
  - (g) "Deputy Director" means the Deputy Director of Sanskrit Education, Uttarakhand.
  - (h) "Secretary" means the secretary Board of Sanskrit Education, Uttarakhand.
  - (i) "Deputy Secretary" means the Deputy Secretary Board of Sanskrit Education, Uttarakhand.
    - (j) " Assistant Director of education"
      means the District Assistant Director of
      Sanskrit Education"
      - (k) "Member of Board" means the member of Board of Sanskrit Education, Uttarakhand.
      - (I) "Institution" means a recognized Sanskrit Uttarmadhyama (Intermediate College), Poorvamadhyama (High School) Prathma. (Junior High School) and Sanskrit Prathmik Vidyalaya (Primary School)
      - (m) "Added Institution" means the institution that provided grant by state government.
      - (n) "School" means the Sanskrit education of board approved government Sanskrit school, under government Sanskrit school, non government Sanskrit school, self finance Sanskrit school.

s of the Bourd and includes

(o) "Uttarmadhyama" means intermediate (Class11-12) "Poorvamadhyama" means High school (Class 9-10), Prathama means Junior High school(class 6-8) and Prathamik means Primary school(Class 1-5)

(p) "Head of Institution" means the Principal, as it is Sanskrit Intermediate College, (Uttarmadhyama) Headmaster of Poorvamadhyama, Prathma and Sanskrit Primary school.

(q) "Teacher" of an institution receiving Maintenance grant from the State funds means a Principal, Headmaster or other teacher in respect of whose employment maintenance grant is paid by the State Government to the institution and includes any other teacher employed according to rules in fulfillment of the conditions of recognition of the institution or as a result of the opening with the approval of the District Sanskrit Education Officer of a new section in an existing class.

(r) "Employee" of an institution receiving Maintenance grant from State funds means a non-teaching employee in respect of whose employ' maintenance grant is paid by the State Government to the Institution.

(s) "Management" in relation to any institution, means the Committee of Management constituted in accordance with the Scheme of administration, if any, and includes the Manager or other person vested with the authority to manage and conduct the affairs of the institution.

(t) "Local Bodies or Panchayati raj" means the jila panchayat, Nagar nigam., Nagar Panchayat Municipal Council Board or respectively

(u) "Centre" means an institution or a

as it if Sandon Intermediate

place fixed by the Board purposes of holding its examinations and includes the entire premises thereto.

(v) "Center Superintendent" means a person appointed by the Sanskrit Board of Education to conduct and supervise examinations of the Board and includes an Additional Superintendent and Associate Superintendent.

(w) "Invigilator" means person who assist, the Superintendent of an inconducting and Supervising the examinations at Centre.

(x) "Maintenance grant" means such grant-in-aid of a recognized institution, as the State Government by the general or special order in that behalf direct to be treated as maintenance grant appropriate to the level of the institution.

(y) "Salary" of teacher or employee of an institution receiving maintenance grant from the State Government means the aggregate of the emoluments including dearness or any other allowance, for the time being payable to him at the rates approved for the purpose of payment of maintenance grant.

(z) "Property" in relation to a recognized institution, includes all immovable properties belonging to or endowed wholly or purely for the benefit of the institution, including lands, buildings and all other rights and interests arising out of such property as may be in the ownership, possession, power or control of the Management.

(aa) "Recognition" means, recognition

maried less foundate (spiritGentre" morans ha maribidon or a

for the purpose of adopting the curriculum prescribed by the Board, and for preparing candidates for admission to the Board's Examinations.

(ab) "Language medium" means the Sanskrit education & board through the government and administrative work of Sanskrit and Hindi.

(ac) "Regulation" means regulations made by the Board under this Act.

(ad) "Prescribed" means prescribed by Regulations under this Act.

#### PART-II

#### Departmental structure of the Sanskrit School Education, functions and powers

Departmental 3
structure of the
Sanskrit
School
Education,
functions and
powers

stryn Madmannik Shibella

- (1) The State Government may establish Sanskrit research & Training, Education management & planning, cultural and Sanskrit Science center and Sanskrit Vidyalaya Sankul at State, District, Block and Nyay Panchayat or appropriate level for planning, implementation, control, administration, direction, monitoring and financial management of Sanskrit education except of Director, Joint Director, Deputy Director, Sanskrit Education Directorate, District Assistant Director, Sanskrit Education, Secretary & Deputy Secretary of Sanskrit Education Board at state level.
- (2) The State Government shall appoint such officers and employees in the institutions as mentioned in sub section (1) as the State Government may deem fit.
- (3) The officers and employees

appointed under sub-section (2) shall discharge such functions and exercise powers, as may be prescribed in the rule.

Functions of the State Council of Sanskrit Education.

to show evinesteining has meeting

4. (1) It will take support and coordination from Sanskrit Academy for regeneration and nurture of Sanskrit education under Sanskrit education management.

(2) Without prejudice to the generality of the preceding power, the following functions shall be discharged by the officers posted under sub-section (1)

of section 3.

(a) To prepare annual estimates and accounts for carrying out activities.

(b) To get permission of the State Government for other projects those to be implemented in Sanskrit education beside centrally sponsored and of the state projects functioning in state and education for all Sarvashiksha Abhiyan (SSA), Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) conducted by Uttarakhand Sanskrit Education Board.

(c) To cooperate with other authorities at National and Regional level educational, academic and financial

ni mayolomo lan molilo da plans.

(d) To provide Sanskrit school educational support and guidance at all levels of Sanskrit school education.

(e) To conduct Training during the

the bone sources and buchness (service or retirement.

Board/ State Government suggestions for educational improvement.

of the preceding power, the following functions shall be discharged by the officers posted under sub-section (1) of section 3.

(a) To prepare, modify or revise curriculum and syllabus for different stages Sanskrit school education.

(b) To prepare text-books, reading material and other instructional material.

(c) To prepare, modify and revise curriculum, syllabus and training material' teacher education.

(d) To prepare curriculum and material for Departmental examinations.

(e) To send curriculum, syllabus, reading material and other material for consideration of the Board.

(f) To conduct researches of different kinds, or get them conducted, in the field of Sanskrit School Education and Teacher Education.

(g) To publish curriculum, syllabus, reading material, other material, and research work.

(h) To extend material and different publications regarding Sanskrit School Education Teacher Education.

(i) To determine evaluation process for different stages of Sanskrit School Education Teacher Education and Departmental Examination.

To evaluate educational quality.

(k) To conduct pre service and in molecules from the service training programmers.

To (f) State Coverment ruggestions induct new educational technology in the field of Sanskrit villations and an experience both education and training.

gaiwollol and anwog gailerang (m) To use Sanskrit/Hindi as a medium and yet began doubt and them a language for working government and to (1) government below administrative work.

(n) To prepare annual estimates and accounts for carrying out activities under marship to (a) to (m).

#### PART-III

#### DEPARTMENTAL STRUCTURE OF THE SCHOOL EDUCATION, FUNCTIONS AND POWERS

#### Establishment 5 of the Board:-

Constitution of 6 the Board-

With effect from such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, there shall be a Board to be known as the Uttarakhand Board of Sanskrit School Education.

(1) The Board shall consist of a Chairman and the following members, namely:

(a) Director, Sanskrit School Education - Chairman, ex officio.

(b) Three heads of secondary institutions (Uttarmadhyma) recommended by the Sanskrit Director/ Chairman and nominated by the State Government, one from a Government (boys) institution, one from private londo? shakes? and many most institution and one from girls' institution.

(c) Three heads of institutions of primary school (Sanskrit Prathmik School) and junior high school level (Sanskrit Prathma School) recommended by the Sanskrit Director/Chairman and william identification of the state of the State Government, one

titulene and you be some sensurit

from a Government primary institution, (Sanskrit prathmik institution) one from and yet behaviored been named to private institution and one from girl's institution.

the teachers of secondary d believe moon in C west (Uttarmadhyma) institutions recommended by the Sanskrit Director/Chairman and nominated by the State Government, one from a Government (boys) institution, one from off yo bearing an anamed to private institution and one from girls' institution, and three teachers of lo longo and lo hoge minstitutions of primary school (Sanskrit prathmik school) and junior high school sitt vid bebroommooon brundlevel (Sanskrit prathma recommended by the Sanskrit Director/Chairman and nominated by the State Government, one from a morphical statemed and ved habitant Government primary (Sanskrit prathmik ature and yet becaming box. (a school) institution, one from private institution and one from girls' institution.

(e) One teacher each of Sanskrit University or Sanskrit Degree colleges established by law in Uttarakhand or of Sanskrit college affiliated or associated wh senior officers of Seniority thereto, recommended by the Sanskrit Director/Chairman and nominated by the State Government.

(f) One expert Sanskrit Academy of Uttarakhand recommended Sanskrit Director/Chairman and nominated by the State Government.

(g) Three teacher (specially yoga, quiry surmitable to language ayurved and Information Communication Technology) from Universities established by Law in Uttarakhand or any Degree college affiliated or associated there to, recommended by the Sanskrit Director/Chairman and nominated by the State Government.

(h) One expert of Rastriya Sanskrit
Sansthan New Delhi recommended by
the Sanskrit Director/Chairman and
nominated by the State Government.

(i) One expert of medical college recommended by the Sanskrit Director/Chairman and nominated by the State Government.

(j) Two expert of State Council of Educational Research and Training,
Uttarakhand recommended by the Sanskrit Director/Chairman and nominated by the State Government.

(k) One member of Finance Department recommended by the Sanskrit Director/
Chairman and nominated by the State Government.

(I) One expert of Uttarakhand Board of Secondary Education recommended by the Sanskrit Director/Chairman and nominated by the State Government.

(m) Two senior officers of Sanskrit Education recommended by the Sanskrit Director/Chairman and nominated by the State Government.

(n) One member from Nepali/Pali language recommended by the Sanskrit Director/Chairman and nominated by the State Government.

(o) The Principal, of Maharana Pratap

Sports College, Dehradun, ex officio.

(p) The Secretary of the Board, ex officio who shall be Member Secretary

of the Board.

(2) The State Government nominate not more than four persons connected with education to be the Members of the Board to secure the representation of minorities (whether based on religion or language). Scheduled Castes and Scheduled Tribes. not otherwise adequately represented.

(3) The, State Government shall notify that the Board. Has been established

properly

(1) The State Government may be duly remove from the Board any Member who, in its opinion-

- dan a refuses to act,
- (b) has become incapable to act,
- (c) has so abused his office as to render his continuance in ouslesses and or and any office detrimental to the public interest, or
- (d) Is otherwise unsuitable largetum lanoliscrumi to a suod r continue as a member.
- (2) A member who, information is being absent from three successive meetings of the board, shall should be removed.

Term of office 8 Members other than ex officio members of members :- shall hold office for a term of three years as specified by the State Government.

Provided that the members shall, not with standing the expiration of his handly a basing on term, continue to hold office until his successor inters upon his office.

Filling of 9 All The casual vacancies from council casual (other than ex-office members) will be

Removal of 7 Members:-

#### vacancies: -

filled by Director/Chairman by convenient procedure as directed by Act.

Powers of the 10 Board: -

Subject to the provisions of this Act, the Board shall have following powers, namely:

- To prescribe curriculum, syllabus, (a) evaluation process, text-book, other books and instructional material, if intermediate. any, at School, (Uttarmadhyma) High (poorvamadhyma) Junior High School, (prathma) Primary School level,(Sanskrit prathmik school) Teacher Education and training of officers and employees in such branches of education as it thinks of ea suille eig Bacon or sufer fit.
- (b) To publish or manufacture, whether to the exclusion, complete or partial, of others or otherwise, all or any such text-books, other books or instructional material.
- (c) To preparation, modification or revision of curriculum, syllabus and teaching and training material.
- (d) To provide diploma or certificate to persons:
- the state of the s
- (ii) Those teachers who have completed in-service/preservice training and who

Treather Education and

have taken private education under the conditions laid down by regulation and have passed examination of the board under the same condition.

- (e) To recognize institutions for the purpose of adopting its curriculum and its examinations.
- (f) To conduct examinations at the end of different stages of Sanskrit school education, and to conduct teacher training examinations and departmental examinations.
  - (g) To admit candidates to its examinations,
    - (h) To demand and receive such fee as may be prescribed in the regulations,
      - (i) To publish or withhold publication of the results of its examination wholly or in part.
      - (j) To call for reports form the Director on the condition of recognized institutions or of institutions applying for recognition,
      - (k) To decide the representation and appeal respect to recognization of the institution.
      - To Co-operate with other agencies at national or regional level in educational work plan.
- (m) To establish co-ordination with national or state level government or non government agencies in field of Sanskrit, yoga, Ayurved

to notice ingroos of tought later of

(u) coperate with other agencies

and scientific research.

(n) To establish co-ordination with State Institute of Educational Management and Training (SIEMAT), Institute of Advanced Studies in Education (IASE), CTE and SCERT.

(o) To co-operate with other authorities in such manner and for such purpose as the Board may determine.

To conduct researches of different kinds, or get them conducted, in the field of Sanskrit School Education, Teacher Education and Evaluation.

(q) To publish curriculum, syllabus, reading material, other material and research work.

(r) To extend material and different publications regarding Sanskrit School Education and Teacher Education.

(s) To determine evaluation process for Sanskrit School Education, Teacher Education and Departmental Examination.

(t) To submit to the State,

To submit to the State, Government its views on any matter with which it is concerned.

To see the schedules of new demands proposed to be included in the budget. Relating to institutions recognized by it and to submit, if it thinks fit, its views thereon for the consideration of the State Government. (v) To do all such other acts and things as may be requisite in order to further the objects of the Board as a body constituted for regulating and supervising Intermediate, (Uttarmadhyma) High School, (Poorvamadhyma) Junior High School, (prathma) Primary Education (Sanskrit prathmik Education) and Teacher Education.

(w) To exercise any other power by, or under this Act or any other law for the time being in force.

#### PART-IV

#### RECOGNITION OF AN INSTITUTION IN ANY NEW SUBJECT OR FOR A HIGHER CLASS

Recognition of an institution in any new subject or for a higher class:-  Not with standing anything contained in Clause (e) of Section 10

(a) The Uttarakhand Sanskrit
Education Board may, with the prior
approval of the State Government,
recognize an institution in any new
subject or group of subjects or for a
higher class.

(b) The District Education Officer (Assistant Director Sanskrit) may permit an institution to open a new section in an existing class.

#### PART-V

# PROHIBITION OF UNAUTHORIZED CONFERMENT OF DIPLOMAS AND CERTIFICATES

Prohibition of unauthorized conferment of Diplomas and Certificates:-

No person shall confer, grant or issue or hold himself entitled to confer, grant or issue any diploma or certificate or document stating or implying that the holder, grantee or recipient has pursued a course of study in any institution

Bar of charging 13 any donation for admission to an Institution:-

privately, has passed the (Uttarmadhyma) High Intermediate. School, (poorvamadhyma) Junior High School, (prathma) Primary (prathmik) or Teacher Education examination or any examination described in reasonably calculated to cause it to be believed be Intermediate,(Uttarmadhyma) High School, (poorvamadhyma) Junior High School, (prathma) Primary (prathmik) or Teacher Education examination.

No person connected with management of an institution and no head of the institution or teacher or any other employee thereof shall directly or indirectly take or receive or cause to be taken or received any contribution, donation, fees or any other payment of any sort, either in cash or in kind, except the fees at the rates specified in any order issued by the State Government in this behalf from or on behalf of any student as a condition for granting him admission to or permitting him after such admission to continue in such institution.

Whoever contravenes the provisions of Section 12 or Section- 13 Shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and also with fine which may be up to five thousand rupees or with both and if the person so contravening is a society or any association of persons, every member of such society or association who knowingly and willingly authorizes

Penalty contravention of Section 12 or Section 13:-

to A side diagram to the or permits such contravention shall be llede transil and base it also punishable.

Proper 15 Where a contribution or donation, either utilization of . in cash or in any kind, is taken or donations:- received by an institution including an market standard san institution maintained exclusively by the State Government or a local authority, the contribution or donation so received doug saled to gather coshall be utilized only for the purpose for which it was given to it, and in the case arms to an ISA side of an institution maintained exclusively vo was religiously in b by the State Government, the cash others to the contribution or donation shall be property will be received in credited to the personal account of such buroll will morn diswar institution which shall be operated in accordance with the general or special orders of the State Government.

#### PART-VI POWER OF THE STATE GOVERNMENT

- Powers of the 16 (1) The State Government shall have State the right to address the Board with Government:- reference to any of the works conducted or done by the Board and to communicate to the Board its views on any matter with. Which the Board is concerned.
- (2) The Board shall report to the State Government such action, if any, as it is proposed to take or has been taken upon its communication.
- (3) If the Board does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering an explanation furnished or representation made by the Board, issue

such directions consistent with this Act, as it may think fit, and the Board shall comply with such directions.

(4) Whenever, in the opinion of the State Government, it 'is necessary or expedient to take immediate action, it may, without making any reference to the Board under the foregoing provision, pass such order or take such other action consistent with provisions of this Act as it deems necessary, and in particular, may, by such order modify or rescind or make any regulation in respect of any matter and shall forthwith inform the Board accordingly.

(5) No action taken by the State Government, under subsection (4) shall

he call in question.

#### PART-VII

OFFICERS OF THE BOARD, POWERS AND DUTIES OF THE CHAIRMAN, APPOINTMENT, POWERS AND DUTIES OF SECRETARY, CONTITUTION OF COMMITTEE AND EXERCISE OF POWERS DELEGATED BY BOARD TO COMMITTEE

Board-

- Officers of the 17 Else following shall be the officers of the Board:
- (1) the Chairman,
- (2) the Secretary,
- (3) such other officers as may be declared by the Regulations to be officers of the Board:

duties of .

Powers and 18 (1) It shall be the duty of the Chairman to see that this Act and the Regulations Chairman- are faithfully observed and he shall have all powers necessary for this purpose.

(2) The Chairman shall have power to

convene meetings of the Board, shall call a meeting at any time after due notice, on a requisition signed by not less than one-forth of the total membership of the Board and stating the business to be brought before the meetings.

(3) In any emergency, arising out of the administrative business of the Board, which, in the opinion of the Chairman, requires that immediate action should be taken, the Chairman shall take such action as he deems necessary and shall thereafter report his action to the Board at its next meeting.

(4) The Chairman shall exercise such other powers as may be prescribed by the regulations.

(1) The secretary shall be appointed by the State Government upon such conditions and for such period as prescribed in the rules.

(2) The secretary shall, subject to the control of the Board, be the administrative officer of the Board. He Shall be responsible for the presentation of the annual estimates and statement of accounts.

(3) He shall be responsible for seeing that all moneys are expended on the purpose for which they are granted or allotted.

(4) He Shall be responsible for keeping the minutes of the Board.

(5) He shall exercise such powers as are necessary for the conduct of the examinations.

Appointment, powers and duties of Secretary

#### Constitution of 20 Committees

(6) He shall exercise such other powers and discharge functions as may be prescribed by the regulations.

(1) The Board shall constitute the following committees as prescribed in the regulations. Different committees may be constituted for different areas.

(2) The following shall be the committees of the Board, namely

(a) Curriculum/Syllabus Committee,

(b) Examinations Committee,

(c) Results Committee.

(d) Recognition Committee, and

(e) Finance Committee.

- (3) Aforesaid Committees shall consist of the members of the Board only and such Committees shall be constituted in such a way that as far as possible at least one member from each of the following classes are presented in each of the Committees –
- (a) Heads of institutions mentioned in Clauses (b) and (c) of sub-section (1) of Section 6.
- (b) Teachers mentioned in Clause (d) of sub-section (1) of Section 6.
- (c) Teachers and professors mentioned in Clause (e) and (g) of sub-section (1) of Section 6.
- (d) Persons mentioned in Clauses (f), (h), (i), (j), (k), (l) and (n) of subsection (1) and subsection (2) of Section 6.
  - (e) Persons mentioned in Clauses (m) and (o) of sub-section (1) of Section 6.

Provided that no Member of the

Board shall serve on more than one of such Committees, and the term of members of the committee shall cease with the cessation of the membership of the Board.

- (4) In addition to the Committees mentioned in sub-section (2), the Board Shall appoint such other committees, if any, as may be prescribed and such different Committees may be appointed for different areas.
- (5) Aforesaid Committees shall constituted in such manner and the terms of members of such Committees shall be such as may be prescribed.

All matters relating to the exercise by the Board, of powers conferred upon it by this Act which have by Regulation been delegated by the Board to any one of its committee the Board before exercising any such powers, shall receive and consider the report of the committee with respect to the matter in question.

- (1) The Board may make regulations to provide for all or any of the following matters, namely.
  - (a) The constitution, powers and duties of committees.
  - (b) The conferment of diplomas and certificates.
  - (c) The conditions of recognition of institutions for the purposes of its examinations.
  - (d) The courses of study to be laid down for all certificates and diplomas.
- ed of mulbacon add away (e) The conditions under which

Exercise of powers delegated by Board to Committees:-

Power to make Regulations of . the Board:-

candidates shall be admitted to the Examinations of the Board and shall be eligible for diplomas and certificates.

- (f) The fees for admission to the examinations.
- (g) The conduct of examinations.
- (h) The appointment of examiners and their duties and powers in relation to the Board's examinations.

 The admission of institution to the privileges of recognition and the withdrawal of recognition.

- (j) Appointment of committees at village, nyaya panchayat, block, district and region level for inspection, supervision, management and recognition of institutions, and delegation of powers to them.
- (k) All matters which by this Act are to be or may be provided for by Regulations.
- (1) The conditions under which grants-in-aid shall be given to institutions recognized by the Board.
- (m) The formation of parent-teachers association,
  - (2) No regulation under sub-section (1) shall be made except prior approval of the State Government.

Power of Board to make by-laws(1) Subject to the provisions of this Act the Board may make by-laws to provide for all or any of the following matters, namely-

(a) Laying down the procedure to be

observed at their meetings and the number of members required to form a quorum.

(b) Such matters which are not provided for in this Act and regulations.

(2) The State Government may issue direction to amend or rescind of any by-laws made under this section by the Board or its Committee.

No act or proceedings of the Board shall be called in question or shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Board.

Officers and Staff of the Board or its committee shall be deemed to be public servant with in the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

the conduct of Board's (1) For Examinations, evaluation of answersuch Examination and books in preparation of result thereof, the Committee of Management, Head of Institution, every teacher and other employee in relation to an institution, shall render such assistance, perform such duties and discharge such functions as may he required, entrusted or assigned to it or him by or under this Act.

(2) Where the Director is satisfied that any such Committee, Head of Institution, teacher or employee has. Failed to carry out any direction issued

Proceedings not invalidated by reasons of vacancies.

Officers and Staff of the Board and its Committee to be public servant:-

Provisions for assistance during examination:-

under sub-section (1), he may, for the conduct of Board's Examinations, evaluation of answer books in such examination or preparation of result thereof, take such measures (including requisition and taking possession of the building, furniture or any other property of the institution) and for such period as appears to him to be necessary therefore.

#### PART-VIII SCHEME OF ADMINISTRATION, TERMS OF MANAGEMENT COMMITTEE AND APPOINMENT OF AUTHORISED CONTOROLLER

Administration:

Scheme of 27 (1) Notwithstanding anything in any law, document or decrees or order of a Court of other instrument there shall be Scheme of administration (hereinafter referred to as the Scheme of Administration) for every recognized institution, which shall be submitted along with the application recognition for the sanction of the Director. The Scheme of Administration shall amongst other matters provide for the constitution of a Committee of Management (hereinafter called the Committee of Management) vested with authority to manage and conduct the affairs of the institution. The Head of the institution and two teachers, thereof, who shall be selected by rotation according to seniority in the manner to be prescribed by Regulations, shall be ex-officio members of the Committee of Management with a right to vote.

mount wollesson woln

- (2) No member of the Committee of Management shall either attend a meeting of the committee or exercise his right to vote whenever a charge concerning his personal conduct is under discussion.
- (3) The Scheme of Administration shall also describe subject to any Regulations, the respective powers, duties and functions of the Head of the Institution and Committee of Management in relation to the institution.
- (4) Where more than one recognized institution is maintained by a body or authority, there shall be separate Committee of Management for each institution unless otherwise provided in the Regulations for any class of institution.
- (5) The Scheme of Administration of every institution shall be subject to the approval of the Director and no amendment to or change in the Scheme of Administration shall be made at any time without the prior approval of the Director.

Provided that where the Management of an institution is aggrieved by an order of the Director refusing to approve an amendment or change in the Scheme Of Administration, the State Government, on the representation of the Management, may, if it is satisfied that the proposed amendment or change in the Scheme of Administration is in the interest of the institution, order the

Director to approve of the same, and thereupon the Director shall act accordingly.

(6) Every recognized institution shall be managed in accordance with the Scheme of Administration framed under and in accordance with subsection (1) to subsection (5) and Sections 29 and 30.

(7) Whenever there is dispute with respect to the Management of an institution, persons found by the Joint Director of Sanskrit Education upon such enquiry as is deemed fit to be in actual control of its affair may, for purpose of this Act, be recognized to constitute the Committee of Management of such institution until a Court of competent jurisdiction directs otherwise,

Provided that the Joint Director of Sanskrit Education shall, before making an order under this sub-section, afford reasonable opportunity to the rival claimants to make representations in writing.

Explanation- In determining the question as to who is in actual control of the affairs of the institution, the Joint Director of Sanskrit Education shall have regard to the control over, the funds of the institution and over the administration, the receipt of income from its properties, the Scheme of Administration approved under subsection (5) and other relevant circumstances.

Scheme of 28
Administration .
not to be inconsistent with the Schedule:

Scheme of. 29.
Administration to be Presented for sanction before the Director:-

Requirement of 30.

Amendment or

Alteration in the

Scheme of

Administration:

The Scheme Of Administration in relation to any institution, whether recognized before or after the commencement of this Act shall not be inconsistent with the principles laid down in the First Schedule,

Where in relation to any institution, the Scheme of Administration has been or deemed to have been approved under Section 27 at any time before the commencement of the this Act and such Scheme of Administration is inconsistent with the provisions of this Act, the Institution shall submit, within period of Six months from such commencement, a fresh, Scheme of Administration Consistent with the principles laid down in the first schedule for the approval of the Director.

(1) While making any suggestion in the Scheme of Administration submitted under section 27 or 29 the Director shall send, within such period of time as may be prescribed, a notice to such institution suggesting any alteration or modification therein and requiring the institution to submit a fresh Scheme, of Administration or to amend or alter the existing Scheme.

(2) While making any suggestion in the Scheme of Administration, the Director shall give his reasons therefore and shall also afford an opportunity to the institution to make a representation within such period as may be specified in the notice.

(3) The Director shall consider any

representation made in accordance with subsection (2) and may approve the Scheme of Administration in its original form Or subject to any alteration or modification suggested under subsection (1) or with any other changes as may appear to him. to be just and proper.

Provided that where the Director proposes to make any new alteration or modification in the Scheme of Administration, lie shall give an opportunity to the institution to make a representation within such period as may be specified by him.

(4) Subject to the provisions of this act, the Director shall, within such period of as may be prescribed, either approve the Draft Scheme of Administration submitted under Section 27 or section 29, or suggest any alteration or modification in the Scheme of Administration.

Provided that if the Director does not suggest any alteration or modification in the Draft Scheme of Administration, within the period of time illustrated by regulations the Draft Scheme of Administration shall be deemed to have been approved.

In the Scheme of Administration framed under Section 27 of this Act, the term of office of the Committee of Management shall not be prescribed for a period exceeding three years.

Inspection of the 32 (1) The Director may inspect a recognized institution or cause it to be

Administration submitted 27 or 29 the Dispetor shall uch period of time as may the number to such gesting my attention or

sin and requiring the air a fresh Scheme, o to amend or alme th

> Term of 31 Management . Committee: -

defect:-

Institution and inspected by the departmental officers removal of from time to time,

- (2) The Director may direct management to remove any defect or deficiency found on inspection or To nodosco its against and otherwise.
  - (3) If on the receipt of information or otherwise, the Director is satisfied that-
- beathing and too had act (i) The Committee of Management of phonocological bewolls and an institution has failed to comply with to inomposite and and the judgment of any Court or any barroomes among an direction made under this Act or any orb ninw combined in an other law for the time- being in force. Scheme 10 Administration or the allaire
- (ii) the Committee has failed to appoint teaching staff possessing such not not make the second qualifications as are necessary for the purpose of ensuring to maintenance of academic standard in the institution or has appointed or retained in service any and to members and the teaching or non-teaching staff in Albom to talk of ballal accontravention of the provision of this Act or the Regulations, or
- (iii) Any dispute with respect to the In lawstonia to based right claimed by different persons to be and to promitted done to lawful office-bearers of the Committee of Management has affected the smooth and orderly administration of the to report to the subject institution concerned, or
- (iv) The Committee has persistently failed for three years to provide the institution with such adequate and proper accommodation, library, furniture, stationery, laboratory equipment or other facilities as are more warm in the necessary of for the administration of such institution, or

(v) The Committee has substantially diverted, misapplied or misappropriated the property of the institution to its detriment or has transferred any property in contravention of the provisions of the Uttar Pradesh Educational Institutions (Prevention of Dissipation of Assets) Act, 1974. or

(vi) The draft of the Scheme of Administration had not been submitted within the time allowed therefore under Section 29, or that the Management of the institution is being conducted otherwise than in accordance with the Scheme of Administration or the affairs mogras at ballat and mallims of the institution are being otherwise mismanaged.

(vii) the Scheme of Administration in relation to an institution, approved before the commencement of this Act, is inconsistent with the provisions of this Act and the management of the Institution has failed to alter or modify it within a reasonable time despite notice under Section 32, he may refer and of supplying the case to Board for withdrawal of recognition of such institution, or issue notice to the Committee of Management to show cause within thirty days form the date of receipt of of the section and soft immo notice why an order under sub-section (4) should not be made.

(4) Where the Committee of Management of an institution fails to show cause within the time allowed under sub-section (3) or within such extended time as the Director may, from

time to time allow, or where the Director is, after considering the cause shown by the Committee of Management satisfied that any of the grounds mentioned in sub-section (3) exists, he may recommend to the State Government to appoint an authorized Controller for that institution thereupon, the State Government may, by order, for reasons to be recorded authorize any person (hereinafter referred to as the authorized Controller) to tale over, for such period not exceeding two years, as may be specified, the Management of such Institution and its properties,

Provided that if the State
Government is of opinion that it is
expedient so to do in order to continue
to secure the proper management of the
institution and its properties, it may
from time to time, extend the operation
of the order, for such period not
exceeding one year at a time, as it may
specify, so however, that the period
specified in the initial order, but
excluding the period specified in subsection (8), does not exceed five years,

Provided further that if at the expiration of the said period of five years there is no lawfully constituted Committee of Management of the institution. The authorized Controller shall continue to function as such, until the State Government is satisfied that a Committee of Management has been lawfully constituted.

(5) If on the receipt. of information or

otherwise, the State Government is of opinion that in relation to an institution the ground mentioned in Clause (iii) or Clause (v) of sub-section (3) exists, and that the interest of the institution calls for immediate action, it may, notwithstanding anything contained in the said subsection, issue notice to the Management of such institution to show cause within fifteen days from the date of receipt of such notice why an authorized Controller be not appointed in respect of such institution.

to homograph and Latinoca (6) Where Committee the Management of the concerned institution fails to cause within the time allowed under sub-section (5), or with in such extended time as the State Government may, from time to time, allow or where the State Government is, alter considering the cause shown by the Committee of Management, satisfied that any of the grounds mentioned is Clause (iii) or Clause (v) of sub-section (3) exists, it may by order and for due of building home on reasons to be recorded, appoint an authorized Controller in respect of such institution and thereupon, the provisions of sub-section (4) shall mutatis mutandis apply.

(7) Every notice issued by the Director under sub-section (3) on or before the service of the notice referred to in sub-section (5) and not finally disposed of on the date of such service shall, with effect from the said date, be deemed to have been in abeyance,

Provided that nothing contained in this sub-section shall be deemed to prevent the Director to take action upon grounds other than those mentioned in Clauses (iii) and (v) of sub-section (3) in case the notice issued by the State Government under sub-section (5) is discharged.

(8) If the State Government is of opinion that immediate suspension of the Committee of Management is also necessary or expedient in the interest of the institution concerned, it may, while issuing notice under sub-section (5), by order and for reasons to be recorded, suspend the Committee of Management and make such arrangement as it thinks proper for managing the affairs of the institution pending the order that may subsequently be made under subsection (6),

Provided that the suspension shall not remain in force for more than six months from the date it becomes effective.

Explanation (i): For the removal of doubts, it is hereby declared that in computing the period of time specified in sub-section (4) or sub-section (8), the time during which the operation of the order was suspended by the High Court in exercise of the powers under Article 226 of the Constitution shall be excluded.

Explanation (ii): Nothing in subsection (4) or sub-section (6) shall preclude, the State Government from revoking an order of appointment of an authorized controller appointed under

any of the said provisions.

(9) Nothing in the section shall be construed to confer on the authorized Controller appointed under sub-section (4) or sub-section (8), the power to transfer any immovable property belonging to the institution (expect by way of letting from, month to month in the ordinary courses of management) or to create any charge thereon (expect as a ollidw with the barresones mount condition. of receipt of any grant-in-aid for institution from the State Government or the Government of India).

(10) Any order made under this adt to south out uniquement tol section shall have notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or in any instrument fleds not resourced and boolver (including Scheme of any Administration) relating to the management and control of the

institution or its property,

Provided that the property of the institution and any income there from shall continue to be applied for the purposes of the institution as provided and to not arong odd dataw and in any such instrument.

much dailed and ve halosome (11) The Director may give to the authorized Controller such directions as he may deem necessary for the proper management of the institution or its properties, and the authorized Controller shall carry out those directions.

(12) No order made by the Board

Appointment of Authorized Controller:-

cash at oanic income from fees,

porta brury

withdrawing recognition in pursuance of a reference made under sub-section (3) and order made or direction given under this section by the Director or the State Government shall be called in question except court of competent jurisdiction and no injunctions shall be wanted except court of competent jurisdiction in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any powers conferred by or under this section.

(13) The power conferred by this section shall be in addition to, and not in derogation of any powers conferred on the State Government or the authorized Controller under any other law for the time being in force.

(14) Nothing contained in sub-section
(3) to (13) shall apply to institutions
established and administered by a
minority referred to in Clause (1) of
Article 30 of the Constitution of India.

(1) wherever an authorized controller is appointed under sub-section (4) or sub-section (8) of Section 32-

(a) He shall take over the management of the concerned institution and its properties to the exclusion of its Committee of Management, and shall, subject to such restrictions as the State Government may impose, have all such power and authority as the Committee would have if the institution and its properties were not taken over under the said sub-section.

(b) Every person in whose possession, custody or control any property of the

institution may be shall deliver such property to the authorized Controller forthwith.

(2) Every person who on the date of the order referred to in sub-section (4) of sub-section (8) of section 32 has in his possession or control any books or other documents relating to the institution to its property shall be liable to account for the said books and other documents to the authorized Controller, and shall deliver them to him or to such person as the authorized Controller nay specify in this behalf.

(3) The authorized Controller may apply to the Collector for delivery of possession and control over the institution or its properties or any part thereof, and the Collector may take all necessary steps for securing possession to the authorized Controller of such institution or property, and in particular,

may use or cause to be used such force

as may be necessary.

of control any property of the

Explanation: In this section and section 32, unless the context otherwise requires, "property" in relation to an institution, includes properties, movable and immovable belonging to or endowed wholly or partly for the benefit of the institution including lands, building (including hostels), works, library, laboratory, instruments, equipments, furniture, stationary, stores, automobiles and other vehicles, if any, and other things pertaining to the institution, cash in hand, cash at bank, income from fees,

boys funds, grants, investments and book debts, all other rights and interests arising out of such property as may be in the ownership, possession, power or control of the institution and all books of accounts, registers and all other documents of whatever nature relating thereto, and shall also be deemed to include all subsisting borrowings, liabilities and obligations of whatever kind, of the institution.

#### PART-IX

# APPOINTMENT OF TEACHERS AND EMPLOYEES, CONSTITUTION OF SELECTION COMMITTEE

Procedure for 34 selection of . teachers, Employees and heads of institutions:-

(1) Subject to the provisions of this Act, the Head of Institution and teachers of an institution is appointed by the Committee of Management in the manner hereinafter provided.

(2) Every post of Head of Institution or teacher of an institution shall, except to the extent prescribed for being filled by promotion, be filled by direct recruitments after intimation of the vacancy to the Joint Director of Sanskrit Education and the Joint Director, Sanskrit Education give direction to the Management Committee for advertising the vacancy containing such particulars as may be prescribed, in at least two daily newspapers having wide circulation in the State.

(3) No person shall be appointed as Head of Institution or teacher in an

institution unless he possesses qualification prescribed by the Regulation.

(4) Every application for appointment as Head of Institution or teacher of an institution in pursuance of an advertisement published under subsection (2) shall be made to the District Assistant Director of Sanskrit Education and shall be accompanied by such fee which shall be paid in such manner as may be prescribed.

(5) (i) After the receipt of application under sub-section (4), the District Assistant Director of Sanskrit Education shall cause to be awarded, in respect of each such application, quality-point marks in accordance with the procedure and principles prescribed, and shall forward the applications to the Committee of the Management.

(ii) The applications shall be dealt with, candidates shall be called for interview, and the meeting of the Selection Committee shall be held in accordance with the Regulations.

(6) The selection Committee shall prepare a list containing in order of preference the names as far as possible of three candidates for a post found by it to be suitable for appointment and shall communicate its recommendations together with such list to the Committee of Management.

(7) Subject to the provisions of subsection (8) the Committee of the Management shall, on receipt of the recommendations of the Selection
Committee under sub-section (6), first
offer appointment to the candidate
given the first preference by the
Selection Committee, and on his
failure to join the post, the candidate
next to him in the list prepared by the
Selection Committee under this
section, and on the failure of such
candidate also, to the last candidate
specified in such list.

(8) The Committee of Management shall, where it does not agree with the recommendations of the Selection Committee, refer the matter together with the reasons of such disagreement to the Joint Director of Sanskrit Education in the case of appointment to the post of Head of Institution and to the District Assistant Director of Sanskrit Education in the case of appointment to the post of teacher of an institution, and his decision shall be final,

(9) Where no candidate approved by the Selection Committee for appointment is available, a fresh selection shall be held in the manner laid down in the section.

(10) Where the State Government, in case of the appointment of Head of Institution, and the Director in the case of appointment of teacher of an institution, is satisfied that any person has been appointed as Head of Institution or teacher, as the case may be. in contravention of the provisions of this Act, the State Government or, as the

case may be, the Director shall, after affording an opportunity of being heard to such person, cancel such appointment and pass such consequential order as may be necessary.

(11) No male candidate shall be eligible for appointment to the post of Head of Institution or teacher in a girl's institution, but the provision of this subsection shall not apply in the context of the following-

(a) appointment by promotion on a higher post other than the post of Head of institution in that institution in case of a candidate already working in a girls institution as a permanent teacher, or

(b) Appointment of a blind teacher as a teacher of music.

(12) The selection process for the appointment of clerical (ministerial) or grouped employee shall be as prescribed.

# Constitution of 35 (1) Selection Committees-

for the selection of candidates for appointment as Head of an Institution, there shall be a Selection Committee consisting of

(i) The President or any member of the Committee of Management nominated by the Committee by resolution in that behalf, who shall be the Chairman.

(ii) A member to the Committee of Management other than the one referred to in Clause (i), nominated by it in this behalf.

(iii) three experts nominated by the Director of Sanskrit Education from persons not belonging to the district in which the institution is situated, out of the panel of names prepared under this section.

(2) For the selection of candidates for appointment as teacher in an institution, there shall be a Selection Committee

consisting of-

(i) The President or any member of the Committee of Management nominated by the Committee by resolution in that behalf who shall be the Chairman.

(ii) The Head of such institution.

(iii) three experts nominated by the Joint Director of Sanskrit Education from persons not belonging to the district in which the institution is situated, out of the panel of names prepared under this section.

(3) The selection of candidates for appointment of clerical (ministerial) staff in an institution, made by

following provision

(1) Regular section against sanctioned

posts.

- the President or any member of the Committee of Management nominated by the Committee by resolution in that behalf who shall be the Chairman,
  - (ii) the Head of such institution,
- (iii) One officer nominated by the Joint Director of Sanskrit Education not below the rank of

provincial education service cadre.

(2) Through out-sourcing on the recommendation of Director/ Chairman and approval of state Government.

(4) For the selection of candidates for appointment as Group-D is only based on Outsourcing.

Conditions of service of Head of Institutions, teachers and other employees:-

(1) Every person employed in a recognized institution shall be governed by such conditions of service as may be prescribed by Regulations and any agreement between the managements and such employee in so far as it is inconsistent with the provisions of this Act or with the Regulations shall be void.

(2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1), the Regulations may provide for-

- (a) The period of probation, the conditions of confirmation and the procedure and conditions promotion and punishment. [including suspension pending or in contemplation of inquiry or during the pendency investigation, inquiry or trial in any criminal case for an offence involving moral turpitudel and the emoluments for the period of suspension and termination of service with notice.
- (b) The scale of pay and payment of salaries.
- (c) Transfer of service from one

base when that or plant sell recognized institution to another.

- Talls your fishers to torsell (d) Grant of leave and Provident Fund and other benefits, and
- (e) Maintenance of record of solid sale tank yesters and village work and service.
- (3) (a) No Principal, Headmaster or teacher may be discharged or removed or dismissed from service or reduced in rank or subjected to any diminution in emoluments, or served with. Notice of termination of service except with the prior approval in writing of the Joint Director of Sanskrit Education, The decision of the Joint Director of Sanskrit Education shall communicated within the period to be prescribed by regulations.
- (b) The Joint Director of Sanskrit Education may approve or disapprove or reduce or enhance the punishment or approve or disapprove of the notice for termination of service proposed by the management,

Provided that in the cases of ed solled by punishment, before passing orders, Joint Director of Sanskrit Education shall give an opportunity to the Principal, the Headmaster or the shungar level steacher to show cause within a Might of the receipt of the notice why the proposed punishment should not be no holtstitent to healt was enginflicted.

(c) Any party may prefer an appeal and the state of the Director of Sanskrit Education, against an order of the Joint Director of Sanskrit Education under Clause all form motor state to select add (b), within one month from the date of the Director of Sanskrit may, after such further enquiry, if any, as he considers necessary, confirm, set aside or modify the order, and the order passed by the Director of Sanskrit shall be final.

(4) An order made or decision given by the competent authority under subsection (3) shall not be questioned except court of competent jurisdiction any Court and the parties concerned shall he bound to execute the directions contained in the order or decision within the period that may he specified therein,

(5) No Head of Institution or teacher shall be suspended by the Management unless in the opinion of the Management -

(a) The charges against him are serious enough to merit his dismissal, removal or reduction in rank, or

(b) His continuance in office is likely to hamper or prejudice the conduct of disciplinary proceedings against him. or

(c) Any criminal case for an offence involving moral turpitude against him is under investigation, inquiry or trial.

(6) Where any Head of institution or teacher is suspended by the Management Committee, it shall be reported to the Joint Director of Sanskrit Education within seven days from the date of the order of suspension and the

report shall contain such particulars as may be prescribed accompanied by all relevant documents.

- (7) No such order of suspension shall, unless approved by the Joint Director of Sanskrit Education, shall remain in force for more than sixty days from the date of such order, and the order of the Joint Director of Sanskrit Education shall be final and shall not be questioned except court of competent jurisdiction.
  - If, at any time, the Joint Director of Sanskrit Education is satisfied that in disciplinary proceedings against the of Institution Head Or teacher. suspension is being made, for no fault of the Head of Institution or the teacher, the Joint Director of Sanskrit Education may, after affording opportunity to the Management to make representation revoke an order of suspension passed under this section.
  - (9) A person will not be eligible for appointment in an Institution, if such person was related to any member of the Committee of Management or Principal or Headmaster the institution concerned.

Explanation: For the purpose of this sub-section, a person shall be deemed to be related to another if-

- (a) They are members of a Hindu undivided family, or
- (b) They are husband and wife. or
- (c) The one is related to the other in the manner indicated in the Schedule.

#### PART-X

## PAYMENT OF SALARY OF THE TEACHERS AND OTHER EMPLOYEES OF INSTITUTIONS RECEIVING MAINTENANCE GRANT FROM THE STATE GOVERNMENT

teachers and other employees of Institutions receiving maintenance grant from the State Government:

of 38 Payment salary within time and without unauthorized deduction:-

Payment of 37 Subject to the provisions of this salary of the . Act, salary of the teachers and other employees of institutions receiving maintenance grant from the State Government shall be paid in hereinafter arranged manner,

> (1) Not with standing any contract to the contrary, the salary of a teacher or other employee of an Institution receiving maintenance grant from the State Government in respect of any period from the day of the commencement, shall be paid to him before the expiry of the Tenth day, or such earlier day as the State Government may by general or special order in that behalf appoint, of the month next following the month in respect of which or any part of which, it is payable.

(2) The salary shall subject to the provision of sub-section (3), be paid without deduction of any kind except those authorized by the regulations or by any rules made under the Act or by any other law for the time being in

force.

Power to Inspect 39 etc:-

(3) where the salary of a teacher or other employee of an institution is not paid in accordance with sub-section (1) due to any default on the part of the management, the District Assistant Director of Sanskrit Education may, without prejudice to any other provisions of this Act, pay or cause to be paid within ten days from the date mentioned in that sub-section such salary from the moneys credited to the account mentioned in section 45 at the rate of salary last drawn by such teacher or employee as the case of may be, and in case fresh appointment at the rate of the minimum of the pay scale in which he has been appointed, and any adjustment in respect of such payment shall, thereafter be made as soon as possible.

(1) The District Assistant Director of Sanskrit Education may at any time, for the purposes of this Act, inspect or cause to be inspected any Institution or call for such information and records (including registers, book of account and vouchers) from its management with regard to the payment of salaries to its teachers or employees or give to its management any direction for the observance of such cannons of financial propriety (Including any direction for retrenchment of any teacher or employee or for prohibition of any wasteful expenditure) as he thinks fit.

(2) Where a direction under subsection (1) is given for retrenchment of ripual lault-sectioner toutr

any teacher or employee, it shall be complied within accordance with the provisions of this Act and the regulations or, as the case may be, the conditions of his service.

(3) (a) Notwithstanding anything contained in any law and without prejudice to the generality of the powers conferred under sub-section (1) the Director may any time, by general or specific order, direct a teacher, who takes part in a strike or remains in it or takes part in it otherwise, which has been prohibited under section 3 of Uttar Pradesh Maintenance of Essential Service Act 1966 (as adopted in Uttarakhand) to be present on his duty by the day or time specified in the order.

(b) Not with standing anything contained in this Act, on a default committed by a teacher to be present on duty, the contract with the Management regarding teacher's employment shall be void from the date or time specified in the above mentioned direction.

(c) Where a contract becomes void under sub-section (b), the concerned teacher shall cease to hold appointment, and he shall nor be entitled of any notice before such cessation of his services, not shall any disciplinary enquiry be expected before such action, notwithstanding anything contained in the conditions of his services in the Act.

(d) Specifically, and without prejudice to the generality of the consequences specified for that reason, the State by him in that behalf and may at any time revoke such instruction.

(2) The management shall deposit in the said account by such date as may be specified by general or special orders by the District Assistant Director of Sanskrit Education, eighty percent or where the state government or an officer authorized by the state government having regard to the money required to be disbursed, directs a percentage, then such higher percentage as it or he may direct of the amount received from students, as fees which in accordance with the general or special orders of the state government in that behalf [and for so long as such Seders are not made in, accordance with the directions of the District Assistant Director of Sanskrit Education] form part of the maintenance fund.

(3) The entire amount of the maintenance grant and the amount of eighty percent or such higher percentage as the state government or an officer authorized by the state government may by general or special order in that behalf determine, of the grants, for reimbursement of freeships and other similar concession shall also be paid by the state government into the said account.

(4) No money credited to the said account shall be applied for any purpose except the following, namely: -

(a) Payment of the said salaries falling due for any period from the date of the

commencement of this Act.

(b) Credit of the institution's contribution, if any, to the provident fund accounts of the teachers and employees.

(c) such other expenditure for the purposes of the institution receiving maintenance grant from the State Government as may be directed by the State Government or an officer authorized by it in that behalf and such portion of the balance in the account at the end of the month of July each year as exceeds the aggregate of one months salary of the teachers and employees of the institution receiving maintenance grant from the State Government after meeting the liability for payment of their salaries for the period for which fees have been realized from the students shall be made over to the management for expenditure on the institution receiving maintenance grant from the State Government.

(5) The salary of a teacher or employee shall be paid by transfer of the amount from the said account to his account, if any, in the same bank, or if he has no account in that bank, then by cheque.

(6) In respect of a place where there is no scheduled bank or a co-operative bank the provision of this section shall apply with such modifications as the State Government may by notification in the Gazette specify and the references in this section to bank shall in that case be construed as references to a post

Enforcement of 41 provisions and . directions:

office savings bank.

(1) Where the District Assistant Director of Sanskrit Education on the basis of an inspection of an institution receiving maintenance grant from the State Government or its records or otherwise is satisfied that its management has committed default in complying with any direction given under Section 32 or with any provision of Section 33 or Section 40 he may recommend to the Deputy Director of Sanskrit Education, that action be taken against the institution under sub-section (2).

(2) On receipt of a recommendation under sub-section (1), the Deputy Director of Sanskrit Education, may call upon the management to comply with the said direction or provision or to show cause within a week why the management should not be suspended.

(3) Where the management fails to comply as aforesaid or to show cause, or the Deputy Director of Sanskrit Education considers the cause shown to be insufficient, he may by order supersede the management for such period not exceeding one year as may be specified in the order, and authorize any person (hereinafter referred to as the Managing Administrator) to take over the management of the institution receiving maintenance grant from the State Government for the said period,

Provided that the Deputy
Director of Sanskrit Education, may

where he considers it necessary or expedient so to do,-

(i) Extend the said period from time to time, so however, that the period so extended does exceed five vears in the aggregate, or

(ii) Revoke the order at any time. Provided further that nothing in Clause (ii) of the preceding provision shall bar the passing of a fresh order under this section.

On an order being made under sub-section (3) the Managing Administrator shall, to the exclusion of the management and subject only to the directions, if any, of the Deputy Director of Sanskrit Education or the State Government, exercise all the powers and perform all the functions of the management, including management of the property belonging to or vested in the institution receiving maintenance grant from the State Government, and in particular, operate singly the bank account referred to in section 40,

Provided that nothing in this section shall be construed to confer on the Managing Administrator the power to transfer any such property (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management) or to create any charge thereon (except as a condition of receipt of a grant-in-aid of the institution from the State Government).

(5) Any order made or direction given under this section shall have effect not with standing anything inconsistence there with contained in any other enactment or instrument relating to the management and control of the institution receiving maintenance grant from the State Government (including any scheme of administration) or relating to the property belonging to or vested in the institution.

Appeal:-

An appeal against the order of the Deputy Director of Sanskrit Education, superseding the management under section 41 may be preferred to the Director within one month from the date on which the order is communicated to the management and the Director may after such further inquiry, if any, as he considers necessary either set it aside or confirm or modify it, and pending the disposal of appeal may stay the operation of he order on such terms, if any, as he thinks fit.

Revision:-

aleft mi Contrition Bady

The State Government may call for and examine the record of any appeal decided by the Director under section 42 for the purpose of satisfying itself as to the correctness or propriety of any order passed by him, and it may pass such order thereon as it thinks fit:

Provided that no order superseding the management of an institution receiving maintenance grant from the State Government or extending the period of suppression thereof shall

be passed under this section unless an opportunity has been given to the management to show cause against the proposed order.

for 44

No institution receiving maintenance grant from the State Government shall create a new post of teacher or other employee except with previous approval of the Director, or such other officer as may be empowered in that behalf by the director.

salary:-

- Liability in 45 (1) The State Government shall be respect of . liable for payment of salaries of teachers and employees of every institution receiving maintenance grant from the State Government due in respect of any period from the date of the commencement of this Act.
- (2) The State Government may recover any amount in respect of which any liability is incurred by it under subsection (1) by attachment of the income from the property belonging to or vested in the institution as if that amount were an arrear of land revenue due from the institution receiving maintenance grant from the State Government.
  - (3) Nothing in this section shall be deemed to derogate from the liability of the institution for any such dues to the teacher or employee.

and Procedure:-

46 (1) If any default is committed in complying with any direction under Section 38 or with the provisions of Section 39 or Section 40, every person who at the time the default was committed was Manager or any other

person vested with the authority to manage and conduct the affairs of the Institution receiving maintenance grant from the State Government shall, unless proves that the default was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of the default, be punishable, in the case of a default in complying with the provisions of Section 39 with fine which may extend to one thousand rupees and in case of any other default, with imprisonment which may extend to six months or fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) No court shall take re-cognizance of any offence punishable under this section except with the previous sanction of the Director of Sanskrit Education except court of competent jurisdiction.

(3) Every offence under this section shall be cognizable, but no police officer below the rank of an Additional Superintendent shall investigate any such offence without the order of a Magistrate of the first class or make arrest therefore without a warrant.

(4) No Court below the rank of a Magistrate of the first class shall take cognizance of an offence under this section, except court of competent jurisdiction

## PART-XI MISCELLANEOUS

Exemption certain classes of institutions from the operation of certain sections:-

Delegation Powers by the Director:-

Protection for acts done in good faith: -

Jurisdiction of Courts:-

Power to remove difficulties:-

51

The provisions of sections 27, 28 29, sub-section (2) to sub-section (14) of section 32 and sections 33 to 46 shall not apply to recognized institutions run and maintained by the State Government or the Central Government.

Subject to the approval of the State Government, the Director may, by a notification in the official Gazette, delegate all or any of the powers conferred upon him by or under this Act, except the powers which he exercise as Chairman of the Board to an officer or officers of the Sanskrit Education Department not lower in rank than a Joint Director of Sanskrit Education.

No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government, the Board or any of its Committees or any other person or any person authorized by the State Government, the Board or any of its Committees in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act.

No order or decision made by the Board or any of its Committee in exercise of the powers conferred by or under this Act shall be called in question in any Court, except court of competent jurisdiction

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act or by reason or anything contained in this Act, the State Government may, notification in the Gazette, remove the

difficulty by making such incidental or consequential provisions, not affecting the substance.

> Provided that no order shall be made after the expiration of the period of two years form the date of commencement of this Act.

> Provided further that such every order as soon as shall be laid, before the State Legislative Assembly.

> Notwithstanding anything contained in this Act, the provisions of Panchayati Raj Act, as far as they are related to the management of education, shall apply.

In exercise of the powers conferred by section 50 sub-section (1-a) of Uttar Pradesh State University Act, 1973 (President Act No. 10 of 1973) as promulgated and amended by Uttar Pradesh University (Re-enact and amendment) Act, 1974 (Uttar Pradesh Act No. 29 of 1974) read with section 21 of Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (Uttar Pradesh Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to promulgated Uttarakhand Sanskrit Education Act, 2014 for the purpose of amending Sampurnanand Sanskrit University, 1st Regulation, 1978, shall be amended to this extend.

Application of 52 Provision of . Panchayati Raj

Repeal and Savings

#### SCHEDULE-ONE

# (See Section 28) Principles on which approval to a Scheme of Administration shall be accorded-

Every scheme of Administration shall-

(1) Provide for proper and effective functioning of the Committee of Management.

(2) Provide for the procedure for constituting the Committee of

Management by periodical elections.

(3) Provide for the qualifications and disqualifications of the members and office-bearers of the Committee of Management and the term of their offices.

Provided that no such scheme shall contain provisions creating monopoly in favor of any particular person, case, creed or family:

(4) Provide for the procedure of calling of meetings and the conduct of business at such meetings.

(5) Provide that all the decisions shall be taken by the Committee of Management and powers of delegation, if any, shall be limited and clearly defined.

(6) ensure that the powers and duties of the committee of

Management and its office-bearers are clearly defined.

(7) Provide for the maintenance and security of property belonging to the institution and also for the utilization of its funds and for the regular checking and auditing of accounts.

#### SCHEDULE-TWO

# (See Section 36) List of Relatives

- Father 1.
- Mother (including step-another) 2.
- Son (including step-son) 3.
- Son's wife. 4.
- Daughter (including step-daughter) 5. Father's father.
- 6.
  - Father's mother.
  - Mother's mother.
- Mother's father. 9.
  - Son's son. 10.
  - Son's son's wife. 11.
  - Son's daughter. 12.
  - Son's daughter's husband. 13.
- Daughter's husband. 14.
  - Daughter's son. 15.
  - 16. Daughter's son's wife.
- Daughter's daughter. 17.0
  - Daughter's Daughter's husband. 18.
- Brother (including step-brother). 19.
  - Brother's wife. 20.
- Sister's (including step-sister). 21.
- Sister's husband. 22.
  - 23. Wife's (or husband's) brother.
    - Wife's (or husband's) father. 24.
    - Wile's (or husband's) sister. 25.
    - 26. Brother's son.
    - Brother's daughter. 27.

By Order,

K.D. BHATT, Principal Secretary.